प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल
''चयन भवन'', मेन रोड नं. 1. चिनार पार्क ईस्ट९ भोपाल 462011
फोन न.–.+91-755-2578801-02-03-04, Fax:.+91-755-2550498,
E-mail: vyapam @mp.nic.in, website: www.vyapam.nic.in, www.peb.mp.gov.in

मध्यप्रदेश एजेंसी फॉर प्रमोशन ऑफ़ इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी,

मध्यप्रदेश के विभिन्न जिलों की जिला ई-गवर्नेंस सोसायटी में जिला ई-गवर्नेंस प्रबंधक, सहायक ई-गवर्नेंस प्रबंधकों, वरिष्ठ प्रशिक्षक, प्रशिक्षक एवं लेखापाल के पदों हेतु भर्ती परीक्षा -2018

परीक्षा संचालन एवं भर्ती नियम पुस्तिका

ऑनलाईन आवेदन-पत्र			
ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रारम्भ तिथि : 01.09.2018		ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि : 15.09.2018	
आवेदन पत्र मे संशोधन करने की प्रारम्भ तिथि : 01.09.2018		आवेदन पत्र में संशोधन करने की अंतिम तिथि : 20.09.2018	
परीक्षा दिनांक व दिन		**13-14 अक्टूबर 2018 शनिवार एवं रविवार**	
परीक्षा शुल्क			
संविदा पदो हेतु	अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिये		रू. 500/- प्रति प्रश्न पत्र
	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ नि:शक्तजन अभ्यर्थियों के लिये (केवल म.प्र. के मूल निवासियो के लिये)		रू. 250 /- प्रति प्रश्न पत्र
ऑनलाईन आवेदन - कियोस्क के माध्यम से आनलाईन भरने वाले अभ्यर्थियों हेतु एमपीआनलाईन का पोर्टल शुल्क रूपये 70/- देय होगा । इसके अतिरिक्त रजिस्टर्ड सिटीजन यूजर के माध्यम से लागिन कर फार्म भरने पर पोर्टल शुल्क 40/- रू. देय होगा ।			

आनलाईन परीक्षा पद्धति समय सारणी

परीक्षा दिनांक एवं दिन	परीक्षा की पाली	अभ्यर्थियों के लिये रिपोर्टिंग समय	महत्वपूर्ण निर्देश पढने का समय (10 मिनट)	उत्तर अंकित का समय
13.10.2018 शनिवार	**प्रथम प्रश्न पत्र (DeGM पद हेतु)**	**प्रात: 07:00 से 08:00**	**08:50 से 09:00 बजे तक**	**प्रात: 09:00 से 10:30 बजे तक**
	द्वितीय प्रश्न पत्र (Lead Trainer पद हेतु)	**दो. 12:00 से 01:00**	**01:50 से 02:00 बजे तक**	**दो. 02:00 से 04:00 बजे तक**
14.10.2018 रविवार	**तृतीय प्रश्न पत्र (AeGM पद हेतु)**	**प्रात: 07:00 से 08:00**	**08:50 से 09:00 बजे तक**	**प्रात: 09:00 से 10:30 बजे तक**
	चतुर्थ प्रश्न पत्र (Trainer पद हेतु) **पंचम प्रश्न पत्र (Accountant पद हेतु)**	**दो. 12:00 से 01:00**	**01:50 से 02:00 बजे तक**	**दो. 02:00 से 04:00 बजे तक**

टिप्पणी :-

1. अभ्यर्थी का आधार पंजीयन अनिवार्य है । यु.आई.डी.ए.आई.(UIDAI) के द्वारा सत्यापित (Verify) होने पर ही ई आधार मान्य होगा ।
2. बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षाओं में मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा। मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र के रूप में अभ्यर्थी मतदाता पहचान पत्र, पेनकार्ड, आधार कार्ड, ड्रायविंग लायसेस, तथा पासपोर्ट में से कोई एक को चयनित कर सकता है।
3. मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र के अभाव में उसे परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित किया जाएगा।
4. परीक्षा में प्रवेश के समय एवं परीक्षा के दौरान आधार इनेबल्ड बहुस्तरीय बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य है।
5. परीक्षार्थियों को परीक्षा को निर्धारित रिर्पोटिंग समय में परीक्षा केन्द्र में प्रवेश की अनुमति होगी । इसके पश्चात विलम्ब से आने वाले अभ्यथियों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी ।
6. परीक्षा केन्द्र एंव कक्ष में मोबाईल फोन, केल्कुलेटर, लॉग टेबल्स, एवं नकल पर्चा आदि का उपयोग पूर्णत: वर्जित है।
7. ऑनलाईन आवेदन-पत्र क्रमांक के द्वारा ही लिखित परीक्षा हेतु अभ्यर्थी अपना प्रवेश-पत्र प्राप्त कर सकते हैं। अत: आवेदन-पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से संभाल कर रखें, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की ही होगी।
8. परीक्षा केन्द्र पर आवेदक को काला बाल प्वाइंट पेन तथा परीक्षा हाल में प्रवेश हेतु मंडल की वेबसाइट से डाउनलोड किये गये प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है ।
9. उपरोक्त सभी पदों के लिए अभ्यर्थियों का मध्यप्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य होगा ।
10. किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात परीक्षा समाप्ति तक परीक्षा कक्ष छोडने की अनुमति नहीं होगी ।
11. **आवेदन पत्र भरते समय उम्मीदवारों के किसी भी प्रमाण पत्र का परीक्षण पी.ई.बी. द्वारा नहीं किया जाता है । अत: कम्प्यूटर आधारित Online परीक्षा में उम्मीदवारों की पात्रता (Eligibility) पूर्णत: प्रावधिक (Provisional) होगी ।**
12. विभाग के पद कार्यपालिक होने की स्थिति में भर्ती हेतु आदिम जनजाति, (बैगा, सहारिया/सहरिया एवं भारिया) के अभ्यर्थियों को परीक्षा से छूट का प्रावधान नहीं होगा वे अभ्यर्थी अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी के रूप में परीक्षा हेतु आनलाईन आवेदन करें। (ऐसी स्थित में नियम पुस्तिका की बैगा,सहारिया एवं भारिया से संबंधित सभी कण्डिकायें विलोपित मान्य होगी ।)

प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल, म0प्र0
चयन भवन, मेन रोड नं. 1, चिनार पार्क (ईस्ट), भोपाल - 462011
फोन नं. 0755-2578801, 02, 03, 04 फैक्स : 0755-2550498
ई-मेल : vyapam@mp.nic.in वेबसाईट : www.vyapam.nic.in, www.peb.mp.gov.in

मध्यप्रदेश एजेंसी फॉर प्रमोशन ऑफ़ इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी,

मध्यप्रदेश के विभिन्न जिलों की जिला ई-गवर्नेंस सोसायटी में जिला ई-गवर्नेंस प्रबंधक, सहायक ई-गवर्नेंस प्रबंधकों, वरिष्ठ प्रशिक्षक, प्रशिक्षक एवं लेखापाल के पदों हेतु भर्ती परीक्षा -2018

आयोजन के नियम एवं निर्देश

विषय-सूची

स.क्रं.	अध्याय	विवरण	पृष्ठ क्र.
1.	1	**मध्यप्रदेश के विभिन्न जिलों की जिला ई-गवर्नेंस सोसायटी में जिला ई-गवर्नेंस प्रबंधक, सहायक ई-गवर्नेंस प्रबंधकों, वरिष्ठ प्रशिक्षक, प्रशिक्षक एवं लेखापाल के पदों हेतु भर्ती परीक्षा -2018**	**03 से 15**
2.	2	विभागवार रिक्त पदों का विवरण तथा आरक्षण तालिका	**16 से 18**
3.	3	प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड की परीक्षा संचालन संबंधी नियमावली	**19 से 34**
4.	**प्रारूप-1**	प्रश्नों/आदर्श उत्तरो पर आपत्ति हेतु अभ्यावेदन	**35**
5.	**प्रारूप-2**	आनलाईन आवेदन पत्र के साथ अभ्यर्थी का फोटो, हस्ताक्षर एवं स्वयं की हस्तलिपी पत्रक	**36**

अध्याय - 1

मध्य प्रदेश एजेंसी फॉर प्रमोशन ऑफ़ इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी

मध्यप्रदेश के विभिन्न जिलों की जिला ई-गवर्नेंस सोसायटी में जिला ई-गवर्नेंस प्रबंधक, सहायक ई-गवर्नेंस प्रबंधकों, वरिष्ठ प्रशिक्षक, प्रशिक्षक एवं लेखापाल के पदों हेतु अर्हता सूची तैयार करने के लिये आयोजित की जाने वाली परीक्षा हेतु नियमावली

1. पदों का विवरण निम्नानुसार हैः-

क्र.	**पद का नाम**	**पदस्थापना**	**मानदेय**
1	जिला ई-गवर्नेंस प्रबंधक (DeGM)	जिला स्तर पर	रू 25,000/- प्रतिमाह
2	वरिष्ठ प्रशिक्षक (Lead Trainer)	जिला स्तर पर	रू 25,000/- प्रतिमाह
3	प्रशिक्षक (Trainer)	जिला स्तर पर	रू 20,000/- प्रतिमाह
4	सहायक ई-गवर्नेंस प्रबंधक (AeGM)	विकासखण्ड/ तहसील स्तर पर	रू 15,000/- प्रतिमाह
5	लेखापाल (Accountant)	जिला स्तर पर	रू 9,800/- प्रतिमाह

2. समस्त पदस्थापनाएँ संबंधित जिले की जिला ई-गवर्नेंस सोसायटी द्वारा की जाएगी |

3. विभिन्न पदों हेतु आवेदकों की **न्यूनतम अर्हतादायी** योग्यताएँ इस प्रकार हैं:-

क्र.	**पद का नाम**	**न्यूनतम अर्हतादायी योग्यता**	**वांछनीय**
1	जिला ई-गवर्नेंस प्रबंधक(DeGM)	• एमसीए./बी.ई. (कम्प्यूटर साईंस)/ बी.ई. (आई.टी.)/ बी.टेक (कम्प्यूटर साईंस)/ बी.टेक (आई.टी.) /एमएससी (आई.टी.)/ एमएससी (कम्प्यूटर साईंस)/एमबीए (सिस्टम्स)/ एमबीए (आई.टी.) • न्यूनतम 2 (दो) वर्ष का उपयुक्त कार्यानुभव अनिवार्य	
2	सहायक ई-गवर्नेंस प्रबंधक(AeGM)	• स्नातक डिग्री के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एक वर्ष का कम्प्यूटर कोर्स अथवा DOEACC/NIELIT का 'A' लेवल का सर्टिफिकेट/बीएससी (कम्प्यूटर साइंस)/	

		बीएससी (आई.टी.)/बीसीए/ एमसीए./बी.ई. (कम्प्यूटर साईंस)/ बी.ई. (आई.टी.)/ बी.टेक (कम्प्यूटर साईंस)/ बी.टेक (आई.टी.)/एमएससी (आई.टी.)/ एमएससी (कम्प्यूटर साईंस)/एमबीए (सिस्टम्स) / एमबीए (आई.टी.) न्यूनतम 1 (एक) वर्ष का उपयुक्त कार्यानुभव अनिवार्य	
3	वरिष्ठ प्रशिक्षक (Lead Trainer)	बीई (कंप्यूटर साइंस/आईटी) / बीटेक (कंप्यूटर साइंस/आईटी) / एमसीए / एमएससी (कंप्यूटर साइंस/आईटी) /एमबीए (आईटी) / मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पूर्ण कालिक समकक्ष योग्यता **नोट :- समकक्ष योग्यता के सम्बन्ध में नियोक्ता विभाग का निर्णय अंतिम होगा |** **अथवा** मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी संकाय में पूर्ण कालिक स्नातक + DOEACC/ NIELIT से 'बी' लेवल प्रमाणपत्र न्यूनतम अर्हतादायी योग्यता उपरांत मान्यता प्राप्त आईटी /आईसीटी प्रशिक्षण केन्द्र / महाविद्यालय / उच्चतर माध्यमिक विद्यालय / अन्य संस्थान में आईटी प्रशिक्षण / आईटी अध्यापन में न्यूनतम 3 (तीन) वर्ष का उपयुक्त कार्यानुभव अनिवार्य	मान्यता प्राप्त संस्थान से सर्टिफाइड प्रशिक्षक का प्रमाणपत्र ई गवर्नेंस क्षेत्र में कार्य अनुभव
4	प्रशिक्षक (Trainer)	बीई (कंप्यूटर साइंस/आईटी) / बीटेक (कंप्यूटर साइंस/आईटी) / बीएससी (कंप्यूटर साइंस/आईटी) / बीसीए / मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पूर्णकालिक समकक्ष योग्यता **नोट :- समकक्ष योग्यता के सम्बन्ध में नियोक्ता विभाग का निर्णय अंतिम होगा |** **अथवा** मान्यता प्राप्त विश्वविधालय से अन्य संकाय में पूर्ण कालिक स्नातक + मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पीजीडीसीए या DOEACC / NIELIT से 'ए' लेवल प्रमाणपत्र न्यूनतम अर्हतादायी योग्यता उपरांत मान्यता प्राप्त	मान्यता प्राप्त संस्थान से सर्टिफाइड प्रशिक्षक का प्रमाणपत्र ई गवर्नेंस क्षेत्र में कार्य अनुभव

		आईटी /आईसीटी प्रशिक्षण केन्द्र / महाविद्यालय / उच्चतर माध्यमिक विद्यालय / अन्य संस्थान में आईटी प्रशिक्षण / आईटी अध्यापन में न्यूनतम 1 (एक) वर्ष का उपयुक्त कार्यानुभव अनिवार्य	
5	लेखापाल (Accountant)	• बी. कॉम (B.com) के साथ किसी मान्यता प्राप्त संसथान से पी.जी.डी.सी.ए.(PGDCA) उत्तीर्ण किया हो I **अथवा** बी. कॉम. (कंप्यूटर ऐप्लीकेसंस) (B. com- Computer Applications) उत्तीर्ण किया हो I **अथवा** बी.कॉम. (B.com) के साथ NIELIT(DOEACC) से "A" level certificate उत्तीर्ण किया हो I **अथवा** एमबीए-फाइनेंस(MBA-Finance) के साथ मान्यता प्राप्त संस्थान से पी.जी.डी.सी.ए. (PGDCA) उत्तीर्ण किया हो I **अथवा** एमबीए-फाइनेंस(MBA-Finance) के साथ NIELIT(DOEACC) से "A" level certificate उत्तीर्ण किया हो I न्यूनतम 1 (एक) वर्ष का उपयुक्त कार्यानुभव अनिवार्य	

उत्तरदायित्वों का विवरण :-

- **जिला ई-गवर्नेंस प्रबंधक (DeGM)**
  - शासकीय अधिकारियों/कर्मचारियों का आईटी क्षमता संवर्धन
  - कोर आईटी अधोसंरचना /इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए परिचालन समर्थन प्रदान करना
  - ई-गवर्नेंस परियोजनाओं और कार्यक्रमों के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करना
  - आईटी जागरूकता और संचार
  - मानकों, दिशा निर्देशों और निर्देशों का अनुपालन
  - राज्य शासन के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के साथ समन्वय
  - जिला ई गवर्नेंस सोसाइटी को सहायता प्रदान करना
- **सहायक ई-गवर्नेंस प्रबंधक (AeGM)**
  - जिला ई-गवर्नेंस प्रबंधक के उपरोक्त सभी कार्यों में सहायता करना तथा ब्लॉक लेवल पर उपरोक्त सभी कार्यों का निष्पादन करना
- **वरिष्ठ प्रशिक्षक (Lead Trainer)**
  - ई-दक्ष पर प्रशिक्षण का नियमित संचालन

- प्रशिक्षण निर्धारण हेतु जिला ई गवर्नेस सोसायटी एवं अन्य विभागों से समन्वय
- प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षण कैलेंडर तैयार करना
- विशेष अथवा परियोजना आधारित प्रशिक्षण संपादन हेतु जिला ई गवर्नेस सोसायटी एवं राज्य स्तरीय प्रशिक्षण समन्वय इकाई से समन्वय स्थापित करना एवं आवश्यकतनुसार गेस्ट फेकल्टी आमंत्रित करना
- जिला ई गवर्नेस सोसायटी एवं राज्य स्तरीय प्रशिक्षण समन्वय इकाई से संपर्क कर प्रशिक्षण के आवश्यकता का आकलन
- केंद्र के हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर/आन्तरिक साज -सज्जा का उपयुक्त रखरखाव करना
- जिले स्तर के विभिन्न विभागों से संपर्क कर प्रशिक्षण की आवश्यकता का आकलन
- नए प्रशिक्षण एवं पाठ्यक्रम प्रस्तावित करना प्रशिक्षण के फीड बेक एवं मूल्यांकन
- विडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा का संचालन
- केन्द्र संचालन का सम्पूर्ण का उतरदायित्व
- समय समय पर जिला ई गवर्नेस सोसायटी एवं राज्य स्तरीय प्रशिक्षण समन्वय इकाई द्वारा सौपे गए अन्य कार्य
- केंद्र के प्रभावी संचालन हेतु अन्य आवश्यक कार्यों का निष्पादन करना

प्रशिक्षक (Trainer)

- प्रशिक्षण सत्र में वरिष्ठ प्रशिक्षक को सहयोग प्रदान करना
- केन्द्र के दैनिक गतिविधियों के प्रवंधन में वरिष्ठ प्रशिक्षक को सहयोग प्रदान करना
- प्रशिक्षण सत्र संचालित करना
- दैनिक / साप्ताहिक / मासिक प्रतिवेदन जिला ई गवर्नेस सोसायटी एवं राज्य स्तरीय प्रशिक्षण समन्वय इकाई को प्रस्तुत करना
- वीडियो कॉन्फ्रेंस सुविधा संचालन में सहयोग करना
- केन्द्र संचालन में वरिष्ठ प्रशिक्षक को सहयोग प्रदान करना
- समय समय पर जिला ई गवर्नेस सोसायटी एवं राज्य स्तरीय प्रशिक्षण समन्वय इकाई द्वारा सौपे गए अन्य कार्य

लेखापाल (Accountant)

- जिला ई-गवर्नेंस सोसाइटी के सभी वित्तीय कार्यों में जिला ई-गवर्नेंस प्रबंधक की सहायता करना

4. ऐसे उम्मीदवार जो जिला ई-गवर्नेंस समिति में ई-गवर्नेंस प्रबंधक, वरिष्ठ प्रशिक्षक, प्रशिक्षक, सहायक ई-गवर्नेंस प्रबंधक, लेखापाल अथवा कार्यालय सहायक के रूप में कार्यरत है / रहे हैं एवं आवेदित पद हेतु आवश्यक **न्यूनतम अर्हतादायी** योग्यताएँ पूर्ण करते है तो उन्हें कार्यानुभव के अतिरिक्त-अंक दिए जाएँगे | कार्यानुभव के अतिरिक्त-अंक इस प्रकार होंगे:

पदनाम	कार्यानुभव की अवधि	अतिरिक्त-

		अंक
मध्य प्रदेश के किसी जिला ई-गवर्नेंस सोसाइटी में जिला ई-गवर्नेंस प्रबंधक/वरिष्ठ प्रशिक्षक/प्रशिक्षक/सहायक ई-गवर्नेंस प्रबंधक/ लेखापाल/ कार्यालय सहायक के रूप में कार्यानुभव	6 माह से 1 वर्ष के लिए	4
	1 वर्ष से अधिक से 2 वर्ष तक के लिए	8
	2 वर्ष से अधिक के लिए	10

कार्यानुभव की गणना उनके प्रथम कार्यभार ग्रहण से परीक्षा दिनांक तक की जावेगी | उम्मीदवारों को ई-गवर्नेंस प्रबंधक अथवा वरिष्ठ प्रशिक्षक अथवा प्रशिक्षक अथवा सहायक ई-गवर्नेंस प्रबंधक, लेखापाल अथवा कार्यालय सहायक के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में भरना होगा | ऐसे उम्मीदवार जिनका स्थानांतरण एक सोसाइटी से दूसरी सोसाइटी में हुआ है वे पहली सोसाइटी में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि भरेंगे | सम्बंधित उम्मीदवार के ऑनलाइन टेस्ट के प्राप्तांक में उपरोक्तानुसार कार्यानुभव के अतिरिक्त अंक जोड़कर प्रावीण्य सूची तैयार की जावेगी | सम्बंधित समिति से अनुभव सम्बन्धी प्रमाणपत्र को दस्तावेजो के सत्यापन के समय सत्यापित किया जावेगा |

नोट :- समकक्ष योग्यता के सम्बन्ध में नियोक्ता विभाग का निर्णय अंतिम होगा |

5. सभी पदों के लिए आयु **दिनांक 01.01.2018 को न्यूनतम 18 वर्ष से अधिकतम 40** वर्ष तक होना चाहिये | मध्यप्रदेश के स्थाई निवासी आवेदकों के लिए निम्न संवर्गो के अंतर्गत आने वाले अभ्यार्थियों को निम्नानुसार <u>**आयु सीमा में छूट**</u> प्रदान की गई है:-

क्र.	आवेदक	मध्यप्रदेश के मूल निवासियों के लिए आयु-सीमा (वर्ष में)	मध्यप्रदेश के बाहर के आवेदकों लिए आयु-सीमा (वर्ष में)
1.	पुरुष आवेदक (अनारक्षित वर्ग)	40	25
2.	पुरुष आवेदक (शासकीय / निगम / मण्डल / स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक)	45	25
3.	पुरुष आवेदक (आरक्षित वर्ग - अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग)	45	25
4.	पुरुष आवेदक (अरक्षित वर्ग - शासकीय / निगम / मण्डल / स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक)	45	25
5.	महिला आवेदक (अनारक्षित वर्ग)	45	25
6.	महिला आवेदक (आरक्षित वर्ग - शासकीय / निगम / मण्डल / स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक)	45	25

7.	महिला आवेदक (आरक्षित वर्ग - अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग)	45	25

नोट:आयु सीमा के संबंध में मध्य प्रदेश शासन द्वारा समय समय पर जारी दिशा निर्देश लागू होंगे |

6. पात्र उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किये जाते है | डाक, व्यक्तिगत अथवा ई-मेल से भेजे गए आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा |

7. चयन प्रक्रिया :

7.1 सभी पदों के लिये पृथक-पृथक परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। सभी परिक्षाएं ऑनलाइन होंगीं, जिनमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछें जाएंगे | प्रत्येक प्रश्न पर 1 अंक निर्धारित है, ग़लत उतर के अंक नहीं काटे जायेगे | इन प्रश्नों में विभिन्न प्रकार के प्रश्नों का प्रतिशत इस प्रकार प्रावधिक हैं:-

क्र.	**पद का नाम**	**कुल प्रश्नों की संख्या**	**परीक्षा हेतु समय**	**परीक्षा प्रश्न पत्र में विभिन्न विषयों के प्रश्नों का प्रतिशत**
1	जिला ई-गवर्नेंस प्रबंधक (DeGM)	100	90 मिनिट	कम्प्यूटर नॉलेज - 40% सामान्य जागरूकता -20% तर्कशक्ति - 20% प्रारंभिक गणित एवं एनॉलिटिकल एविलिटी - 20%
2	सहायक ई-गवर्नेंस प्रबंधक (AeGM)	100	90 मिनिट	कम्प्यूटर नॉलेज - 40% सामान्य जागरूकता -20% तर्कशक्ति - 20% प्रारंभिक गणित एवं एनॉलिटिकल एविलिटी - 20%
3	वरिष्ठ प्रशिक्षक (Lead Trainer)	160	120 मिनिट	कम्प्यूटर एवं आईटी सम्बन्धी ज्ञान- 30% सामान्य जागरूकता -15% तर्कशक्ति - 15% प्रारंभिक गणित एवं एनॉलिटिकल एबिलिटी - 15% प्रशिक्षण अभिरुचि - 25%
4	प्रशिक्षक (Trainer)	160	120 मिनिट	कम्प्यूटर एवं आईटी सम्बन्धी ज्ञान- 30% सामान्य जागरूकता -15% तर्कशक्ति - 15% प्रारंभिक गणित एवं एनॉलिटिकल एबिलिटी - 15% प्रशिक्षण अभिरुचि - 25%

5	लेखापाल (Accountant)	150	120 मिनिट	लेखा कर्म एवं लेखांकन ज्ञान (Book Keeping & Accountancy knowledge) तथा टेली ERP 9 से सम्बंधित प्रश्न - 60% सामान्य जागरूकता - 15% प्रारंभिक गणित एवं एनौलोटिकल एविलिटी - 15% कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान - 10%

प्रश्नों का उपर्युक्त विभाजन प्रावधिक है, जिसमें आंशिक परिवर्तन हो सकता है |

7.2 ऑनलाइन चयन परीक्षा की समय-सारणी

1.	विज्ञापन जारी होने की तिथि	
2.	ऑनलाइन आवेदन भरने की तिथि एवं समय	
3.	ऑनलाइन परीक्षा तिथि	पोर्टल पर बाद में घोषित की जावेगी
4.	सभी पदों की प्रस्तावित प्रावधिक मेरिट सूची की वेबसाइट पर ऑनलाइन उपलब्धता	पोर्टल पर बाद में घोषित की जावेगी

7.3 परीक्षा केंद्रः- भोपाल, इंदौर, जबलपुर एवं ग्वालियर |

7.4 परीक्षा में बैठने वाले अभ्यर्थियों की संख्या के आधार पर परीक्षा की पालियाँ निर्धारित की जाएंगी |

7.5 यह परीक्षा, अर्हता परीक्षा होगी जो मध्यप्रदेश के विभिन्न जिलों की जिला ई-गवर्नेंस सोसायटीज में जिला ई-गवर्नेंस प्रबंधक, सहायक ई-गवर्नेंस प्रबंधक, वरिष्ठ प्रशिक्षक, प्रशिक्षक, एवं लेखापाल के रिक्त पदों / पद रिक्त होने की प्रत्याशा में पदों की पूर्ति हेतु केवल अर्हता सूची तैयार करने के लिये आयोजित की जा रही है | PEB द्वारा online परीक्षा पश्चात् विभाग द्वारा प्रदत्त कार्यानुभव के अंको को जोड़कर Qualified आवेदकों की अहर्ता सूची तैयार की जावेगी | साक्षात्कार तथा अन्य आगामी कार्यवाही विभाग द्वारा ही की जावेगी |

7.6 परीक्षा के परिणामस्वरूप न्यूनतम कट ऑफ प्राप्तांको एवं उम्र के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जाकर उसमे से वर्तमान में/ भविष्य में रिक्त होने वाले पदों पर नियुक्ति हेतु सम्बंधित जिला ई-गवर्नेंस समितियों को अनुशंसा की जावेगी | ऑनलाइन परीक्षा मे समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों में से अधिक उम्र वाले उम्मीदवार को वरीयता दी जावेगी। वरीयता सूची (अर्हता सूची) वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जावेगी |

7.6.1 ई-गवर्नेंस प्रबंधक के लिए लिखित परीक्षा में 60% प्राप्तांक | 60% या उससे अधिक प्राप्तांक उत्तीर्ण अभ्यर्थियों में जिला ई-गवर्नेंस सोसाइटी के कार्यानुभव के अंक सम्मलित करने के पश्चात कुल प्राप्तांकों के आधार पर उम्मीदवारों की प्राप्तांको एवं उम्र के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जाकर उसमे से वर्तमान में / भविष्य में रिक्त होने वाले पदों पर नियुक्ति हेतु सम्बंधित जिला ई गवर्नेंस समितियों को अनुशंसा की जाना प्रस्तावित है |

7.6.2 वरिष्ठ प्रशिक्षक एवं प्रशिक्षक परीक्षा उत्तीर्ण करने हेतु न्यूनतम 50% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है |

7.6.2.1 उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के प्राप्तांक में जिला ई-गवर्नेंस सोसाइटी के कार्यानुभव के अंक सम्मलित करने के पश्चात कुल प्राप्तांकों के आधार पर वरिष्ठ प्रशिक्षक एवं प्रशिक्षक हेतु पृथक-पृथक **"साक्षात्कार हेतु प्रावीण्य सूची"** तैयार की जाएगी | उक्त प्रावीण्य सूची से दोनों पदों के रिक्तियों के तीन गुने अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु विभाग द्वारा आमंत्रित किया जायेगा | यह प्रावीण्य सूची साक्षात्कार के लिए उपयुक्त पाए जाने वाले अभ्यर्थियों के चयन मात्र हेतु वैध होगी जो वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जावेगी |

7.6.2.2 साक्षात्कार हेतु अधिकतम 10 अंक निर्धारित है | साक्षात्कार हेतु पात्र अभ्यर्थियों को साक्षात्कार मैं सम्मलित होना अनिवार्य होगा |

7.6.2.3 ऑनलाइन परीक्षा एवं साक्षात्कार में सम्मलित होने मात्र से अभ्यर्थी की संविदा नियुक्ति पर दावेदारी नहीं होगी |

7.6.2.4 लिखित परीक्षा के प्राप्तांक, जिला ई-गवर्नेंस सोसाइटी में कार्यानुभव के अंक एवं साक्षात्कार के प्राप्तांको के योग के आधार पर **प्रावधिक प्रावीण्य सूची** विभाग द्वारा तैयार की जाएगी |

7.6.2.5 प्रावीण्य सूची मे समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों में से अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को वरीयता दी जावेगी |

7.6.2.6 प्रावीण्य सूची से रिक्तियों के संख्या के आधार पर **चयन सूची** तैयार की जाएगी एवं रिक्त पदों के दो गुने अभ्यर्थियों की **प्रतीक्षा सूची** विभाग द्वारा तैयार की जाएगी|

7.6.2.7 चयनित / प्रतीक्षारत, जैसी स्थिति हो, अभ्यर्थियों को जिले आबंटित करने हेतु उनकी काउंसलिंग की जाएगी |

7.6.2.8 अभ्यर्थियों की काउंसलिंग के उपरांत पदस्थापना हेतु **मेरिट-सह-चॉइस** के आधार पर जिलों का आबंटन किया जायेगा एवं उनके पदस्थापना की अनुशंसा संबंधित जिले की जिला ई-गवर्नेंस सोसायटी को की जाएगी | अभ्यर्थी की पदस्थापना जिला ई-गवर्नेंस सोसायटी द्वारा की जाएगी |

7.6.3 सहायक ई-गवर्नेंस प्रबंधक हेतु उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के प्राप्तांक में जिला ई-गवर्नेंस

सोसाइटी के कार्यानुभव के अंक सम्मलित करने के पश्चात कुल प्राप्तांकों के आधार पर विभिन्न वर्गों के प्रत्याशियों के लिए उस वर्ग के आरक्षित पदों के / बाद में खाली होने वाले पदों हेतु न्यूनतम कट ऑफ प्राप्तांक निम्नानुसार होंगे :

क्र.	**वर्ग**	**अर्हता परीक्षा में प्रस्तावित न्यूनतम कट ऑफ प्राप्तांक**
1	अनारक्षित	60
2	अन्य पिछड़ा वर्ग	55
3	अनुसूचित जाति	50
4	अनुसूचित जनजाति	50

7.6.4 लेखापाल पद हेतु परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए न्यूनतम 50% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा |

7.7 सहायक ई-गवर्नेंस प्रबंधक के मामले में महिलाओं के लिये 30 प्रतिशत पदों का क्षैतिज व प्रभागवार (हॉरिजेंटल व कम्पार्टमेंटवाइज रिजर्वेशन) आरक्षण होगा | यदि किसी भी अनारक्षित /आरक्षित प्रवर्ग में महिलाओं के लिये आरक्षित पद उपयुक्त महिला अभ्यर्थी के अभाव में चयन न होने से रिक्त रह जाते हैं तो ऐसे रिक्त पद उसी प्रवर्ग के पुरुष उम्मीदवार से नहीं भरे जायेंगे। रिक्त पदों की आरक्षण वार तालिका Annexure-1 पर संलग्न है |

7.8 न्यूनतम कट ऑफ प्राप्तांको में कुल परीक्षार्थियों एवं रिक्त पदों की संख्या एवं अहर्ता प्राप्त करने वाले प्रत्याशियों की संख्या के आधार पर आवश्यकतानुसार परिवर्तन भी किया जा सकता है | इस सम्बन्ध में मुख्य कार्यपालन अधिकारी मैप आईटी का निर्णय अंतिम होगा |

7.9 मैप आईटी द्वारा अर्हता सूची एवं उम्मीदवारों की जिले की प्राथमिकता के आधार पर चयनित उम्मीदवार की पदस्थापना की अनुशंसा संबंधित जिले की ई-गवर्नेंस सोसायटी से की जाएगी | पदस्थापना जिला ई-गवर्नेंस सोसायटी द्वारा की जाएगी |

7.10 सम्बंधित पद रिक्त होने की दशा में ही अर्हता परीक्षा के परिणामस्वरूप उम्मीदवार की मेरिट के आधार पर तैयार अर्हता सूची में से वरीयता एवं उसके द्वारा दी गयी जिले की चॉइस के आधार पर योग्य उम्मीदवारों की अनुशंसा जिला ई गवर्नेंस समिति को पस्स्थापना हेतु की जावेगी | सम्बंधित पद रिक्त न होने की दशा में अर्हता सूची में सम्मिलित किसी भी उम्मीदवार द्वारा पदस्थापना का दावा नहीं किया जा सकेगा |

8 नियुक्ति हेतु प्रस्तावित प्रावधिक अर्हता सूची में आए अभ्यर्थियों को दस्तावेजों का सत्यापन कराना अनिवार्य होगा | जिस जिले के लिये उसका नाम प्रावधिक अर्हता सूची में आया है, अभ्यर्थी को उसी जिले की जिला-ई गवर्नेंस सोसायटी में दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा | दस्तावेजो का प्रमाणीकरण जिलों के ई-गवर्नेंस सोसायटी द्वारा अधिकृत अधिकारी करेंगे | अभ्यर्थियों को निम्न दस्तावेजों का सत्यापन कराना अनिवार्य हैः-

i. हाईस्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा (10+2) की अंक सूची
ii. हायर सेकण्डरी सर्टिफिकेट परीक्षा (10+2) की अंक सूची
iii. पद हेतु निर्धारित न्यूनतम योग्यता के समस्त प्रमाण पत्र (जो अभ्यर्थी पर लागू हों)
iv. मध्य प्रदेश के मूल निवासी का प्रमाण पत्र (सक्षम अधिकारी द्वारा जारी)
v. जाति प्रमाण पत्र (सक्षम अधिकारी द्वारा जारी)
vi. अनुभव का लाभ लेने की स्थिति में आवश्यक अनुभव प्रमाणपत्र दस्तावेज सत्यापन के उपरांत सभी अर्हताएँ ठीक पाये जाने पर ही वास्तविक पदस्थापना आदेश जिला ई-गवर्नेंस सोसायटी द्वारा जारी किया जाएगा। **उपरोक्त समस्त दस्तावेज प्रस्तुत न करने एवं दस्तावेज असत्य पाये जाने पर आवेदक की उम्मीदवारी अमान्य कर दी जावेगी |**

9 तदनुसार सभी चयनित व पदस्थ प्रत्याशी संबंधित जिला ई-गवर्नेंस सोसायटी की संविदा पर अनुबंधित कर्मचारी होगें |

10 निरर्हताएः-

i. **पररुपधारणः- किसी भी उम्मीदवार की ओर से अपनी उम्मीदवारी की सहायता प्राप्त करने हेतु किसी भी जरिये से किया गया कोई भी प्रयास उसके लिये अनर्हकारी माना जावेगा |**

ii. **विवाह सम्बंधी:-कोई भी ऐसे पुरुष/महिला उम्मीदवार जिसने किसी भी ऐसे महिला/पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पहले से ही जीवित पति/पत्नी हो, ऐसे आवेदक नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे |**

iii. **कूटरचित अभिलेख प्रस्तुत करने पर |**

iv. **कदाचरण संबंधीः-किसी भी ऐसे उम्मीदवार को सेवा या पद पर नियुक्त नहीं किया जावेगा यदि उसे शासन या स्थानीय प्राधिकारी की सेवा के कदाचरण के लिये परिणामस्वरूप पदच्युत कर दिया गया हो। यदि उसे नैतिक पतन के अपराध पर दोष सिद्ध ठहराया गया हो |**

v. **ऐसा उम्मीदवार जिसके विरुद्ध अपराधिक प्रकरण दर्ज है अथवा उसके विरुद्ध दर्ज किसी अपराधिक मामले में वह दोषी सिद्ध हुआ हो |**

vi. **स्वास्थ्य संबंधी मानसिक रूप से फिट न होने परः- किसी भी उम्मीदवार को सेवा या पद पर नियुक्त नही किया जावेगा जब तक कि वह राज्य शासन के ऐसे चिकित्सा अधिकारी, जिसका पद सिविल सर्जन से कम न हो, के द्वारा जारी स्वस्थता प्रमाण पत्र प्रस्तुत न कर दे |**

vii. **फर्जी दस्तावेज / चयन के स्तर पर जानकारी छिपायी हो |**

viii. **वर्तमान या पूर्व में किसी भी जिला इ गवर्नेंस समिति से कदाचरण, अनुशासनहीनता आदि के कारण सेवा से प्रथक किये गए हों अथवा इस सम्बन्ध में कोई प्रकरण विचाराधीन हो |**

11 चयन सूची की वैधताः- अर्हता सूची की वैधता जारी किये जाने से 02 वर्ष के लिये होगी |

12 संविदा अवधि:- प्रथमत सभी नियुक्ति एक वर्ष के लिये संविदा पर होंगी। एक वर्ष पश्चात कार्य

निष्पादन के अनुसार जिला ई-गवर्नेंस सोसायटी नियुक्ति अवधि को शासन द्वारा स्वीकृत अवधि के लिए बढ़ा सकेंगी | इस संविदा नियुक्ति के आधार पर नियमितिकरण संबंधी कोई माँग या दावा नहीं किया जायेगा |

13 जिला ई-गवर्नेंस प्रबंधक को रू. 25,000/-, वरिष्ठ प्रशिक्षक को रू. 25,000/-, प्रशिक्षक को रू. 20,000/-, सहायक ई-गवर्नेंस प्रबंधक को रू.15,000/- एवं लेखापाल को रू. 9,800/- प्रतिमाह एकमुश्त मानदेय दिया जायेगा | मंहगाई एवं अन्य गृह भाड़ा भत्ता आदि नहीं दिया जायेगा | दूसरे वर्ष पुनः संविदा नियुक्ति की स्थिति में प्रथम वर्ष की नियुक्ति के दौरान प्राप्त मानदेय में शासन के आदेशानुसार मानदेय में वृद्धि की जाएगी |

14 यात्रा एवं दैनिक भत्ता:- शासकीय कार्य से भ्रमण की दशा में पात्रता एवं नियमानुसार भुगतान किया जाएगा, जिसका निर्णय जिला ई-गवर्नेंस सोसायटी द्वारा लिया जाएगा |

15 ई.पी.एफ. कटौत्रा:- ई.पी.एफ. कटौत्रा के संबंध में ई.पी.एफ. एण्ड मिसलेनियस प्रोविजन्स एक्ट 1952 के प्रावधान लागू होगा |

16 अवकाश:-

16.1 आकस्मिक अवकाश - संविदा पर नियुक्त अधिकारियों/ कर्मचारियो को नियमानुसार 01 वर्ष में 13 दिन के आकस्मिक अवकाश की पात्रता होगी |

16.2 चिकित्सा अवकाश - संविदा पर नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को नियमानुसार 01 वर्ष में 15 दिन के चिकित्सा अवकाश की पात्रता होगी | चिकित्सा अवकाश न लिए जाने की स्थिति में इसे आगामी वर्ष में नहीं जोड़ा जावेगा |

16.3 प्रसूति अवकाश - संविदा पर नियुक्त महिला अधिकारियों/कर्मचारियों को नियमानुसार 90 दिन (तीन माह) के प्रसूति अवकाश की मानदेय की राशि सहित पात्रता होगी | प्रसूति अवकाश मात्र दो जीवित संतानों तक ही देय होगा | प्रसूति संबंधी गंभीर चिकित्सकीय आवश्यकताओं हेतु महिला संविदा कर्मियों हेतु 90 दिन का बिना मानदेय के अवकाश स्वीकृत किया जा सकेगा | पुरूष कर्मचारियों को 15 दिवस के पितृत्व अवकाश की मानदेय की राशि सहित पात्रता होगी। प्रसूति एवं पितृत्व दोनों अवकाश प्रथम दो जीवित संतानों तक ही देय होगा | स्वीकृति का अधिकार जिला ई-गवर्नेंस सोसायटी को होगा |

16.4 उपरोक्त सभी प्रकार के अवकाश का उपभोग जिला ई-गवर्नेंस सोसायटी या उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी की स्वीकृति से किया जाएगा | बिना अवकाश स्वीकृति के अवकाश पर रहने/ अनुपस्थित रहनें पर अनुपस्थिति की अवधि का मानदेय देय नहीं होगा तथा अन्य अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकेगी |

17 अनुबंध:-

17.1 संविदा पर प्रथम नियुक्ति के समय नियुक्त अधिकारियों / कर्मचारियों को नियुक्ति प्राधिकारी के साथ 100/- रू. के नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पर बॉण्ड निष्पादित करना होगा, जिसके निष्पादन पर होने वाला समस्त व्यय उनके द्वारा वहन किया जावेगा | इस बॉण्ड की छाया प्रति कार्य पर उपस्थित होने से 07 दिवस की अवधि में भरकर संबंधित जिला ई-गवर्नेंस सोसायटी को देना होगा | इस बॉण्ड के अनुसार अभ्यार्थी को यह गारंटी देनी होगी कि यदि वह संविदा अवधि एक वर्ष पूर्ण होने के पूर्व पद से त्यागपत्र देता है तो उन्हे बॉण्ड में उल्लेखित धनराशि जो उनके पारिश्रमिक/मानदेय के एक माह के बराबर होगी जिला ई-गवर्नेंस सोसायटी के पास जमा करनी होगी |

17.2 संविदा अवधि के 01 वर्ष के लिये नवीनीकरण के समय अधिकारियों/कर्मचारियों को 100/- रू. के नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पर पुनः बॉण्ड निष्पादित करना होगा, जिसके निष्पादन पर होने वाला समस्त व्यय उनके द्वारा वहन किया जावेगा | यदि वह संविदा अवधि एक वर्ष पूर्ण होने के पूर्व पद से त्यागपत्र देता है तो उसे बॉण्ड के अनुसार उल्लेखित धनराशि जो उनके पारिश्रमिक/मानदेय के एक माह के बराबर होगी, जिला ई-गवर्नेंस सोसायटी के पास जमा करनी होगी |

17.3 अन्य:-

17.3.1 नियुक्ति के पश्चात जिले के मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी का मूल स्वस्थता प्रमाण पत्र कार्य पर उपस्थित होने के पश्चात 07 दिन की अवधि में जिला ई-गवर्नेंस सोसायटी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा |

17.3.2 संविदा नियुक्ति पर नियुक्त अधिकारी/कर्मचारी की सेवाएं निर्धारित अवधि के पूर्व जिला ई-गवर्नेंस सोसायटी द्वारा एक माह के नोटिस पर समाप्त की जा सकेगी |

17.3.3 संविदा नियुक्ति पर नियुक्त अधिकारी/कर्मचारी बिना सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति/निर्देश के कोई भी सूचना/जानकारी किसी अन्य व्यक्ति अथवा अन्य विभाग को किसी भी माध्यम से नहीं देगा तथा कार्यालयीन गोपनीयता भंग नही करेगा |

17.3.4 कार्यालय में संविदा सेवा अवधि के दौरान अन्य किसी भी प्रकार के संस्थानों/कार्यालयों में कार्य करने अथवा व्यक्तिगत तौर पर किसी भी प्रकार के व्यापार/व्यवसाय करने पर प्रतिबंध लागू रहेगा |

17.3.5 संविदा पर नियुक्त अधिकारी/कर्मचारी को समय-समय पर सौंपे गए अन्य समस्त कार्यालयीन कार्य भी संपादित करने होंगे |

17.3.6 नियुक्ति पत्र में दर्शायी तिथि तक कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा अन्यथा नियुक्ति आदेश निरस्त माना जायेगा | विशेष परिस्थिति में जिला ई-गवर्नेंस सोसायटी इस अवधि में वृद्धि कर सकेगी |

17.3.7 संविदा नियुक्ति पर नियुक्त अधिकारी/कर्मचारी को अधारभूत एवं उसके दायित्वों से संबंधित प्रशिक्षण में अनिवार्यतः भाग लेना होगा |

17.3.8 संविदा नियुक्ति पर नियुक्त अधिकारी/कर्मचारी का चरित्र सत्यापन शासकीय सेवकों को लागू नियमों तथा अनुदेशों के आधार पर किया जावेगा | चरित्र के संबंध में किसी प्रतिकूल निष्कर्ष की दशा में, जिला ई-गवर्नेंस सोसायटी द्वारा संविदा नियुक्ति, बिना कोई कारण बतायें तत्काल रद्द की जा सकेगी |

17.3.9 संविदा नियुक्ति पर नियुक्त अधिकारी/कर्मचारी को कदाचार या किसी आपराधिक क्रियाकलाप में संलग्न होने पर नियुक्ति प्राधिकारी ऐसी संविदा नियुक्ति समाप्त कर सकेंगे |

17.3.10 संविदा नियुक्ति पर नियुक्त अधिकारी/कर्मचारी द्वारा उसे प्रावधानित किये गये कार्य मानक स्तर से नहीं करने की स्थिति में कारण बताओ स्पष्टीकरण पत्र जारी कर रू. 250/- तक अर्थदण्ड लगाया जा सकेगा | संविदा के दौरान 2 बार से अधिक अर्थ दण्ड लगने की स्थिति निर्मित होने पर तीसरी बार अर्थदण्ड लगाते समय सेवायें समाप्त की जा सकेंगी | गंभीर अनुशासनहीनता की स्थिति में प्रथम बार में ही स्पष्टीकरण लेने के उपरांत सेवाएँ समाप्त की जा सकती है|

17.3.11 चयनित अभ्यार्थी उसकी पदस्थापना के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से संविदा में माना जावेगा | यदि संविदा पर नियुक्त कोई व्यक्ति बिना किसी विशिष्ट कारण के और बिना किसी सूचना के अपने कर्तव्य से 01 माह से अधिक के लिए अनुपस्थित रहता है तो उसकी संविदा नियुक्ति ऐसी अनुपस्थिति की तिथि से स्वतः समाप्त मानी जावेगी |

17.3.12 परीक्षार्थियों को परीक्षा में शामिल होने एवं कार्यभार ग्रहण करने आदि के लिये कोई यात्रा भत्ता देय नही होगा |

17.3.13 विवाद की स्थिति में मैप आईटी एवं सम्बंधित जिला ई-गवर्नेंस सोसायटी का निर्णय अंतिम होगा |

अध्याय-2

मध्यप्रदेश के विभिन्न जिलों की जिला ई-गवर्नेंस सोसायटी में जिला ई-गवर्नेंस प्रबंधक, सहायक ई-गवर्नेंस प्रबंधकों, वरिष्ठ प्रशिक्षक, प्रशिक्षक एवं लेखापाल के पदों हेतु भर्ती परीक्षा -2018

<u>रिक्त पदों का वर्गवार विवरण</u>

1· मध्यप्रदेश एजेंसी फॉर प्रमोशन ऑफ़ इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी, भोपाल (म.प्र.)

मध्यप्रदेश एजेंसी फॉर प्रमोशन ऑफ़ इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी, भोपाल के पत्र क्रमांक 613 दिनांक- 23.07.2018 के अनुसार कार्यपालिक रिक्त पदों की जानकारी निम्नानुसार है -

पोस्ट कोड-001 जिला ई-गवर्नेंस प्रबंधक (DeGM) - कुल **09** पद की आरक्षण तालिका -

<table>
<tr><th rowspan="2">सक्र.</th><th rowspan="2">श्रेणी</th><th colspan="2">बिन वर्ग</th><th colspan="2">भूतपूर्व सैनिक</th><th rowspan="2">योग</th><th>विकलांग</th></tr>
<tr><th>ओपन</th><th>महिला</th><th>ओपन</th><th>महिला</th><td rowspan="6">निरंक</td></tr>
<tr><td>1.</td><td>अनारक्षित (UR)</td><td>09</td><td>00</td><td>00</td><td>00</td><td>09</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>अनुसूचित जाति (SC)</td><td>00</td><td>00</td><td>00</td><td>00</td><td>00</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>अनुसूचित जनजाति (ST)</td><td>00</td><td>00</td><td>00</td><td>00</td><td>00</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)</td><td>00</td><td>00</td><td>00</td><td>00</td><td>00</td></tr>
<tr><td></td><td>योग</td><td>09</td><td>00</td><td>00</td><td>00</td><td>09</td></tr>
</table>

मानदेय – 25,000/- प्रतिमाह

<u>शैक्षणिक योग्यता -</u> 1. एमसीए./बी.ई.(कंप्यूटर साइंस)/बी.ई.(आई.टी.)/बी.टेक.(कंप्यूटर साइंस)/बी.टेक.(आई.टी.)/एमएससी.(आई.टी.)/एमएससी.(कंप्यूटर साइंस)/एमबीए.(सिस्टम)/एमबीए.(आई.टी.)

2. न्यूनतम 2 (दो) वर्ष का उपयुक्त कार्यानुभव अनिवार्य |

पोस्ट कोड-002 सहायक ई-गवर्नेंस प्रबंधक (**AeGM**) - कुल **117** पद की आरक्षण तालिका -

सक्र.	श्रेणी	बिन वर्ग		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	40	19	00	00	59	निरंक
2.	अनुसूचित जाति (SC)	15	03	00	00	18	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	17	07	00	00	24	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	15	01	00	00	16	
	योग	87	30	00	00	117	

मानदेय – 15,000/- प्रतिमाह

<u>शैक्षणिक योग्यता -</u> 1. स्नातक डिग्री के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एक वर्ष का कंप्यूटर कोर्स अथवा DOEACC/NIELIT का 'A' लेवल का सर्टिफिकेट/बीएससी.(कंप्यूटर साइंस)/बीएससी. (आईटी) /बीसीए / एमसीए. / बी.ई.(कंप्यूटर साइंस) / बी.ई.(आई.टी.) / बी.टेक.(कंप्यूटर साइंस) / बी.टेक. (आई.टी.) / एमएससी.(आई.टी.) / एमएससी.(कंप्यूटर साइंस) / एमबीए.(सिस्टम)/ एमबीए.(आई.टी.)

2. न्यूनतम 1 (एक) वर्ष का उपयुक्त कार्यानुभव अनिवार्य |

पोस्ट कोड-03 वरिष्ठ प्रशिक्षक (Lead Trainer) - कुल 10 पद की आरक्षण तालिका -

सक्र.	श्रेणी	बिन वर्ग		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	10	00	00	00	10	निरंक
2.	अनुसूचित जाति (SC)	00	00	00	00	00	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	00	00	00	00	00	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	00	00	00	00	00	
	योग	10	00	00	00	10	

मानदेय – 25,000/- प्रतिमाह

<u>शैक्षणिक योग्यता -</u> 1. बी.ई.(कंप्यूटर साइंस/आई.टी.)/बी.टेक.(कंप्यूटर साइंस/आई.टी.)/एमएससी./एमएससी.(कंप्यूटर साइंस/आई.टी.)/एमबीए.(आई.टी.)/मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पूर्णकालिक समकक्ष योग्यता

नोट :- समकक्ष योग्यता के सम्बन्ध में नियोक्ता विभाग का निर्णय अंतिम होगा |

अथवा

मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी संकाय में पूर्ण कालिक स्नातक+DOEACC/NIELIT से 'बी' लेवल प्रमाणपत्र

2. न्यूनतम अर्ह्तादायी योग्यता उपरांत मान्यता प्राप्त आईटी/आईसीटी प्रशिक्षक केन्द्र/महाविद्यालय /उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/अन्य संस्थान में आईटी प्रशिक्षण/आईटी अध्यापन में न्यूनतम 3 (तीन) वर्ष का उपयुक्त कार्यानुभव अनिवार्य |

<u>वांछनीय -</u> 1. मान्यता प्राप्त संस्थान से सर्टिफाइड प्रशिक्षण का प्रमाणपत्र |

2. ई-गवर्नेंस क्षेत्र में कार्यानुभव |

पोस्ट कोड-04 प्रशिक्षक (Trainer) - कुल 09 पद की आरक्षण तालिका -

सक्र.	श्रेणी	बिन वर्ग		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	09	00	00	00	09	निरंक
2.	अनुसूचित जाति (SC)	00	00	00	00	00	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	00	00	00	00	00	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	00	00	00	00	00	
	योग	09	00	00	00	09	

मानदेय – **20,000/-** प्रतिमाह

<u>शैक्षणिक योग्यता -</u> 1. बी.ई.(कंप्यूटर साइंस/आई.टी.)/बी.टेक.(कंप्यूटर साइंस/आई.टी.)/बीएससी.(कंप्यूटर साइंस/आई.टी.)/बीसीए./मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पूर्णकालिक समकक्ष योग्यता

नोट :- समकक्ष योग्यता के सम्बन्ध में नियोक्ता विभाग का निर्णय अंतिम होगा |

अथवा

मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अन्य संकाय में पूर्ण कालिक स्नातक+मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पीजीडीसीए या DOEACC/NIELIT से 'ए' लेवल प्रमाणपत्र

2. न्यूनतम अर्ह्तादायी योग्यता उपरांत मान्यता प्राप्त आईटी/आईसीटी प्रशिक्षक केन्द्र/महाविद्यालय /उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/अन्य संस्थान में आईटी प्रशिक्षण/आईटी अध्यापन में न्यूनतम 1 (एक) वर्ष का उपयुक्त कार्यानुभव अनिवार्य |

<u>वांछनीय -</u> 1. मान्यता प्राप्त संस्थान से सर्टिफाइड प्रशिक्षण का प्रमाणपत्र |

2. ई-गवर्नेंस क्षेत्र में कार्यानुभव |

पोस्ट कोड-005 लेखापाल (Accountant) - कुल 05 पद की आरक्षण तालिका -

सक्र.	श्रेणी	बिन वर्ग		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	05	00	00	00	05	निरंक
2.	अनुसूचित जाति (SC)	00	00	00	00	00	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	00	00	00	00	00	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	00	00	00	00	00	
	योग	05	00	00	00	05	

मानदेय – **9,800/-** प्रतिमाह

<u>शैक्षणिक योग्यता -</u> 1. बी.कॉम. (B.com.) के साथ किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से पी.जी.डी.सी.ए. (PGDCA) उत्तीर्ण किया हो |

अथवा

बी.कॉम. (कंप्यूटर एप्लीकेशन्स) (Computer Applications) उत्तीर्ण किया हो |

अथवा

बी.कॉम. (B.com.) के साथ NIELIT(DOEACC) से 'A' लेवल का सर्टिफिकेट उत्तीर्ण किया हो |

अथवा

एमबीए-फाइनेंस (MBA-Finance) के साथ मान्यता प्राप्त संस्थान से पी.जी.डी.सी.ए. (PGDCA) उत्तीर्ण किया हो |

अथवा

एमबीए-फाइनेंस (MBA-Finance) के साथ NIELIT(DOEACC) से 'A' लेवल का सर्टिफिकेट उत्तीर्ण किया हो |

2. न्यूनतम 1 (एक) वर्ष का उपयुक्त कार्यानुभव अनिवार्य |

अध्याय-3

प्रोफेशनल एग्जामिनेश बोर्ड, भोपाल परीक्षा संचालन के नियम एवं निर्देश

<u>खण्ड-अ</u>

3.1 (i) इस परीक्षा हेतु केवल ऑनलाईन आवेदन पत्र प्राप्त किए जायेंगे, जिसमें से आवेदक द्वारा अपनी शैक्षणिक व अन्य अर्हता को ध्यान में रखते हुए आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जायेगा। **अभ्यर्थी शैक्षणिक अर्हताओं का भलीभॉति अध्ययन उपरान्त ही आवेदन पत्र भरें।**

(ii) **आवेदक को विभिन्न पदों हेतु एक ही आवेदन पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।** सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश क्रमांक सी-3-9/2016/1/3 भोपाल, दिनांक 10/10/2016

के की कण्डिका क्रमांक 2 के बिन्दु क्रमांक 5 के अनुसार भर्ती परीक्षा के पद संख्या एवं विभागों के नाम घटाये-बढाये जा सकेंगे ।

(iii) सभी पदों के लिए पृथक-पृथक परीक्षाएँ आयोजित की जावेगी | अभ्यर्थी एक से अधिक पद के लिए अपना विकल्प पदवार चिंहित कर सकेगा। आनलाईन आवेदन पत्र में दी गई जानकारी एवं विकल्पों के आधार पर ही परीक्षा व परिणाम संबंधी कार्यवाही की जावेगी।

3.2 (i) आवेदक के पास न्यूनतम शैक्षणिक अर्हतायें आवेदन पत्र भरने की तिथि को अनिवार्य रूप से पूर्ण होने चाहिये ।

(ii) आवेदन पत्र भरने की तिथि के पश्चात किसी भी दिनांक को अर्हतायें अर्जित करने वाले अभ्यर्थियों को विज्ञापित पदों के लिये विचार क्षेत्र में होने की पात्रता नहीं होगी ।

(iii) आवेदक द्वारा गलत जानकारी दिये जाने की स्थिति में उनका आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकेगा ।

(iv) ऑनलाईन आवेदन-पत्र में भरी गई जानकारी का सत्यापन चयन के समय संबंधित विभाग/ संस्था या भर्ती परीक्षा में संबंधित विभाग द्वारा नियुक्ति पत्र प्रदान करने के पूर्व किया जायेगा।

(v) यदि बाद में यह पता चलता है कि आवेदक द्वारा गलत अथवा असत्य जानकारी अथवा किसी जानकारी को छुपाया है ऐसी स्थिति में किसी भी स्तर पर संस्था प्रमुख/संबंधित विभाग द्वारा परीक्षा में प्रवेश/चयन/नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी ।

(vi) आवेदक द्वारा छद्म रूप से एक से अधिक आवेदन किये जाने एवं तदनुसार परीक्षा में बैठने पर **अभ्यर्थी** की अभ्यर्थिता निरस्त की जावेगी ।

3.3 परीक्षा हाल में ले जाने हेतु आवश्यक सामग्री :-

(i) बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड किया गया प्रवेश-पत्र।

(ii) काला बॉलप्वाइंट पेन। (उपस्थिति पत्रक पर हस्ताक्षर एवं अन्य लिखित कार्य हेतु ।)

(iii) फोटोयुक्त मूल पहचान पत्र - मतदाता पहचान पत्र, पेनकार्ड, आधार कार्ड, ड्रायविंग लायसेस, अधिकारिक रूप से जारी एवं हस्ताक्षरित अंकसूची मय फोटोग्राफ, तथा पासपोर्ट में से कोई एक लाना अनिवार्य। ई आधार मान्य नहीं है।

3.4 परीक्षा में किसी भी प्रकार की इलेक्ट्रानिक डिवाईस यथा Scientific Calculator, Mobile Phone,Bluetooth Device, Programmable Calculator, Watch Alarms, Listening Devices, Paging Devices (Beepers), Recording Devices, Protectors, Compasses, Scales and whitener इत्यादि पूर्णत: वर्जित है।

3.5 **लिखित परीक्षा में नि:शक्तजन अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध सुविधाएँ** :-

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रं. एफ-8-2/05/आ.प्र./एक, दिनांक 08.09.2011 एवं पी.ई.बी. के आदेश क्रमांक पी.ई.बी./प-1/3454/2018 भोपाल दिनांक 13/07/2018 के अनुसार लिखित परीक्षा में नि:शक्तजन के लिए निम्नानुसार सुविधाएँ प्रदान की जायेगी :-

(i) (अ) **यह सुविधा निम्नलिखित अभ्यर्थियों को प्रदान की जावेगी :-**

1. दृष्टिबाधित, ऊपरी हिस्से में (हाथ से) नि:शक्त तथा सेरिब्रल पल्सी से नि:शक्तजन परीक्षार्थी।
2. मानसिक रूप से संस्तभ (स्पैस्टिक) डाइसलेक्सिक और पर्सन्स विद डिसएबिलिटिज एक्ट 1995 में परिभाषित अशक्तता वाले परीक्षार्थी।
3. ऐसे परीक्षार्थी जो अचानक बीमार हो जाने की स्थिति में जब वह लिखने में असमर्थ हो, इस आशय का प्रमाण-पत्र ऐसे चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिया गया हो, जो सहायक सर्जन रैंक से कम का न हो।
4. दुर्घटना हो जाने पर जब परीक्षार्थी लिखने में असमर्थ हो और इस आशय का प्रमाण-पत्र ऐसे चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिया गया हो, जो सहायक सर्जन से कम रैंक का न हो।

(ब) **प्रदान की जाने वाली सुविधाऐं**:-

उपरोक्त से संबंधित अभ्यर्थियों को सहायक अथवा अतिरिक्त समय की सुविधा प्रदान की जावेगी । सहायक अथवा अतिरिक्त समय की सुविधा लेने हेतु अभ्यर्थी द्वारा सम्पूर्ण जानकारी मय दस्तावेजों एवं शपथ-पत्र सहित पी.ई.बी. कार्यालय को परीक्षा दिनांक से दस दिवस पूर्व प्रस्तुत करना होगी ताकि पी.ई.बी. स्तर पर नियमानुसार लिखित अनुमति प्रदान की जा सके । अपरिहार्य कारणों से पूर्व में आवेदित लेखन सहायक उपस्थित न होने की दशा में अभ्यर्थी द्वारा केन्द्राध्यक्ष के सत्यापन उपरांत नियमानुसार निर्धारित शर्तो के अनुरूप योग्यताधारी अन्य लेखन सहायक की सुविधा हेतु अनुमति दी ज सकेगी ।

(i) लेखन सहायक की नियुक्ति हेतु शर्ते:-

लेखन सहायक एक ऐसा विद्यार्थी होना चाहिये जिसकी न्यूनतम शैक्षणिक योग्तता, परीक्षार्थी द्वारा दी जा रही परीक्षा से कम होना चाहिये । उदाहरण के लिये यदि परीक्षार्थी की शैक्षणिक योग्तया स्नातक उपाधि है तो लेखन सहायक की योग्यता हायर सेकेण्डरी होना चाहिये।

(ii) अतिरिक्त समय हेतु शर्ते :-

यदि अभ्यर्थी अतिरिक्त समय हेतु आवेदन करता है, तो उसे निम्नानुसार अतिरिक्त समय की पात्रता होगी :-

3 घंटे की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए	60 मिनट
2० घंटे की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए	50 मिनट
2 घंटे की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए	40 मिनट
1० घंटे की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए	30 मिनट

(स) **इसके अतिरिक्त प्रदाय की जाने वाली सुविधाऐं :-**

यथा संभव ऐसे अभ्यर्थियों का परीक्षा कक्ष भूतल पर निर्धारितत किया जावेगा ।

3.6 प्रवेश-पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया :-

ऑनलाईन आवेदन-पत्र क्रमांक का प्रयोग कर आवेदक अपना प्रवेश-पत्र पी.ई.बी. की वेबसाईट www.peb.mp.gov.in से मुद्रित कर परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं।**प्रवेश पत्र जारी होने के उपरांत किसी तरह का त्रुटि सुधार नहीं किया जायेगा एवं किसी भी प्रकार की त्रुटि दृष्टिगोचर होने पर पी.ई.बी. ऑनलाईन आवेदन-पत्र को रद्द/निरस्त/ परिवर्तित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।**

3.7 **परीक्षा प्रवेश-पत्र** (Test Admit Card) :-

(i) नियमानुसार मान्य ऑनलाईन आवेदन-पत्रों के प्रवेश-पत्र (Test Admit Card-TAC) पी.ई.बी. की वेबसाईट www.peb.mp.gov.in पर दो भागों में उपलब्ध कराए जायेंगे। जिसमें प्रथम भाग में आवेदक, परीक्षा का नाम, रोल नंबर एवं परीक्षा केन्द्र का विवरण इत्यादि समाहित होगा।

(ii) अतिरिक्त रूप से इस भाग में आवेदक के आवेदन पत्र में भरे गये शरीर के स्थायी पहचान चिन्ह तथा फोटोयुक्त पहचान पत्र का विवरण तथा क्रमांक भी अंकित होगा।

(iii) परीक्षा के दौरान ही वीक्षक के समक्ष अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र के निर्धारित स्थान पर हस्ताक्षर, **बाये हाथ के अंगूठे का निशान** तथा हस्तलिपि (काले बाल पांईट पेन से) अंकित करना होगी।

(iv) प्रवेश-पत्र पृथक से डाक द्वारा प्रेषित नहीं किए जायेंगे।

3.8 मूल्यांकन पद्धति :–

वस्तुनिष्ठ प्रश्न का सही उत्तर अंकित करने पर 1 अंक दिया जायेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जावेगा।

3.8 अ. त्रुटिपूर्ण प्रश्न, उसका निरस्तीकरण एवं बदले में दिया गया अंक :-

परीक्षा उपरांत मंडल द्वारा अभ्यर्थियों से प्रश्न पत्र के विषय में आपत्तियॉ आहूत की जाती है तद्नुसार विषय विशषज्ञों से प्रश्नपत्र के आपत्तियुक्त प्रश्न का परीक्षण कराया जाता है। निम्नलिखित कारणों से प्रश्न निरस्त किए जा सकते है :-

(i) प्रश्न निर्धारित पाठ्यक्रम से बाहर का हो।

(ii) **प्रश्न की संरचना गलत हो।**

(iii) उत्तर के रूप में दिये गये विकल्पों में एक से अधिक विकल्प सही हों।

(iv) कोई भी विकल्प सही न हो।

(v) यदि प्रश्न-पत्र के किसी प्रश्न के अंग्रेजी एवं हिन्दी अनुवाद में भिन्नता हो जिस कारण दोनों के भिन्न-भिन्न अर्थ निकलते हों और सही एक भी उत्तर प्राप्त न होता हो।

(vi) कोई अन्य मुद्रण त्रुटि हुई हो जिससे सही उत्तर प्राप्त न हो या एक से अधिक विकल्प सही हो।

(vii) अन्य कोई कारण, जिसे विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा उचित समझा जाये।

(viii) प्रश्न पत्र विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा की गई अनुशंसा अनुसार ऐसे निरस्त किए गए प्रश्नों के लिए सभी को इस प्रश्न-पत्र में उनके द्वारा अर्जित अंकों के अनुपात में पी.ई.बी. अंक प्रदान करता है। भले ही उसने निरस्त किए गए प्रश्नों को हल किया हो या नहीं।

<u>उदाहरण 01</u> :- यदि किसी 100 प्रश्नों के प्रश्न पत्र में 2 प्रश्न निरस्त किए जाते हैं और मूल्यांकन के बाद यदि अभ्यर्थी 98 प्रश्नों में 90 अंक प्राप्त करता हैं, तो उसके अंकों की गणना निम्नानुसार होगी,

$$\frac{90 \text{ x } 100}{(100 - 2)} = 91.83$$

<u>उदाहरण 02</u> :- यदि किसी 150 प्रश्नों के प्रश्न पत्र में 2 प्रश्न निरस्त किए जाते हैं और मूल्यांकन के बाद यदि अभ्यर्थी 148 प्रश्नों में 140 अंक प्राप्त करता हैं, तो उसके अंकों की गणना निम्नानुसार होगी।

$$\frac{140 \text{ x } 150}{(150 - 2)} = 141.89$$

<u>उदाहरण 03</u> :- यदि किसी 200 प्रश्नों के प्रश्न पत्र में 2 प्रश्न निरस्त किए जाते हैं और मूल्यांकन के बाद यदि अभ्यर्थी 198 प्रश्नों में 190 अंक प्राप्त करता हैं, तो उसके अंकों की गणना निम्नानुसार होगी।

$$\frac{190 \text{ x } 200}{(200 - 2)} = 191.91$$

नोट :- सभी गणना को दशमलव के दो अंकों तक की जायेगी ।

(आदेश क्र. पी.ई.बी. / 5-प-1/48/5279/2016 भोपाल दिनांक 29.08.2016 के अनुसार)

3.8 ब. परीक्षा में परीक्षा परिणाम नार्मोलाईजशन पद्धति :–

प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल के आदेश क्र. पी.ई.बी./प-1/11/22-2016/4839/2016 भोपाल, दिनांक 04.08.2016 के अनुसार पी.ई.बी. द्वारा आयोजित परीक्षाऐं, जिसमें परीक्षा आयोजन एक से अधिक शिफ्टों में किया जाता है तो उन परीक्षाओं में परीक्षा परिणाम नार्मोलाईजेशन पद्धति से तैयार किया जावेगा । जिसका सूत्र निम्नानुसार है:-

Normalized Mark of j^{th} candidate in i^{th} session $\widehat{M}_{ij}$ is given by:

$$\widehat{M}_{ij} = \frac{\bar{M}_t^g - M_q^g}{\bar{M}_{ti} - M_{iq}}(M_{ij} - M_{iq}) + M_q^g$$

where,

M_{ij} is the actual marks obtained by the j^{th} candidate in i^{th}

$\bar{M}_t^g$ is the average marks of the top 0.1% of the candidates considering all sessions

M_q^g is the sum of mean and standard deviation marks of the candidates in the paper considering all sessions

$\bar{M}_{ti}$ is the average marks of the top 0.1% of the candidates in the i^{th} session

M_{iq} is the sum of the mean marks and standard deviation of the i^{th} session

(नार्मोलाइजेशन पद्धति के बारे में जानने के लिए पी.ई.बी. की वेबसाईट देखे)

3.9 प्रश्न पत्र के प्रश्नों के संबंध में अभ्यावेदनः–

(i) प्रश्नपत्र में किसी प्रकार की त्रुटिपूर्ण प्रश्नों/उत्तरों के संबंध में केवल परीक्षार्थी द्वारा अपनी आपत्तियाँ निर्धारित प्रारूप में आवश्यक अभिलेख सहित परीक्षा समाप्ति के उपरान्त एक सप्ताह के भीतर पी.ई.बी. कार्यालय में प्रस्तुत की जा सकती है ।

(ii) बिन्दु क्रमांक 3.13 अ अनुसार पी.ई.बी. द्वारा प्रश्न-पत्र में त्रुटिपूर्ण प्रश्नों के साथ-साथ परीक्षार्थियों से प्राप्त अभ्यावेदनों पर विचार उपरान्त मूल्यांकन हेतु अंतिम "की" (अंतिम उत्तर) तैयार की जायेगी ।

(iii) अंतिम उत्तर के संबंध में प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड भोपाल द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा।

3.10 अनुचित साधन (Unfair means, UFM) :–

बोर्ड द्वारा संचालित की जाने वाली ऑनलाईन परीक्षाओं में यू.एफ.एम./पररूपधारी प्रकरणों पर कार्यवाही हेतु निम्नानुसार मार्गदर्शी नियमावली निर्धारित की जाती है:-

(अ) **अनुचित साधन** (Unfair means)/ यू.एफ.एम. (UFM) के अन्तर्गत आने वाले प्रकरणों के संबंध में

1. परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में मोबाईल फोन, केल्कुलेटर, लॉग टेबिल, नकल पर्चा /Rough Papers/Loose Paper Slip इलेक्ट्रानिक घडी एवं अन्य इलेक्ट्रानिक उपकरण ले जाना पूर्णत: प्रतिबंधित होगा ।

2. परीक्षा के दौरान चिल्लाना, बोलना, कानाफसी करना, ईशारे करना व अन्य परीक्षार्थी से किसी भी प्रकार का सम्पर्क करना ।

3. प्रतिबंधित सामग्री पाये जाने पर परीक्षार्थी द्वारा उसे सौपने से इंकार करना या उसे स्वयं नष्ट करना अथवा उपयोग करने पर यूएफएम प्रकरण दर्ज होगा ।

4 नकल प्रकरण से संबंधित दस्तावेजों/प्रपत्रों पर हस्ताक्षर करने से मना करना ।

5. सक्षम अधिकारी के निर्देशो की अवहेलना/अवज्ञा करना या उनके निर्देशों का पालन न करना ।

6. सक्षम अधिकारी के निर्देशानुसार अन्य दस्तावेज वापस नहीं करना या वापस करने से मना करना ।

7. परीक्षा कार्य में लगे कर्मचारियों/अधिकारियों को परेशान करना,धमकाना या शारीरिक चोट पहुॅचाना ।

8. परीक्षा कक्ष में मोबाईल अथवा अन्य इलेक्ट्रानिक उपकरण का उपयोग करना ।

9. ऐसे यूएफएम प्रकरण जिनमें अभ्यर्थी के साथ अन्य व्यक्तियों की संलिप्ता प्रकट होती है ।

10. उपरोक्त के अतिरिक्त अभ्यर्थी का अन्य ऐसा कोई कार्य, क्रियाकलाप, प्रक्रिया अथवा प्रणाली जिससे परीक्षा की शुचिता एवं पवित्रता दूषित होती हो ।

यूएफएम प्रकरणो में बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रपत्र-3 में विधिवत जानकारी दर्ज करना अनिवार्य है, जिसे पृथक लिफाफे में नकल सामग्री/साक्ष्य सहित सीलबन्द किया जावे । उपरोक्त में से किसी भी कृत्य के आधार पर अथवा क्रियाकलाप/गतिविधियों में अभ्यर्थी की आपराधिक संलिप्तता होने पुलिस प्राथमिकी दर्ज की जावेगी ।

(ब) **<u>पररूपधारण (IMPERSONATION) के अन्तर्गत आने वाले प्रकरणों के संबध में</u>**

1.अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलाना/परीक्षा में शामिल होने का प्रयास करना, यह कृत्य पररूपधारण **(IMPERSONATION)** की श्रेणी में आयेगा। पररूपधारण का कृत्य विधि के अनुसार अपराध है । ऐसे में अभ्यर्थी में विरूद्ध यूएफएम प्रकरण दर्ज करते हुये परीक्षा केन्द्राध्यक्ष द्वारा एफआईआर भी दर्ज करायी जावेगी । ऐसे अपराध के लिए आवेदककर्ता एवं उसके स्थान पर परीक्षा में बैठने वाला व्यक्ति के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी ।

2. विभाग द्वारा आयोजित द्वितीय परीक्षा, दस्तावेजों के परीक्षण/सत्यापन व नियुक्ति के समय कोई आवेदक या उसके दस्तावेज फर्जी या संदिग्ध पाये जाते है, तो विभाग उक्त अभ्यर्थी की नियुक्ति निरस्त करते हुए पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा कर पी.ई.बी. को अवगत कराया जायेगा ।

पी.ई.बी. द्वारा इस प्रकार के समस्त प्रकरणों को बोर्ड स्तर पर गठित यू.एफ.एम. समिति द्वारा परीक्षण उपरान्त, नियमानुसार कार्यवाही करते हुये अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता/परीक्षा परिणाम निरस्त किया जा सकता है ।

3.11 परीक्षा परिणाम का प्रकाशन :-

(i) परीक्षा परिणाम घोषित होने के पूर्व पी.ई.बी. की वेबसाईट पर परीक्षा परिणाम के साथ-साथ विषयवार आदर्श उत्तर (subject wise model answers) अभ्यर्थियों की सुविधा के लिये उपलब्ध होंगे।

(ii) नियमपुस्तिका के अध्यायों में उल्लेखित नियमों के आधार पर पी.ई.बी. द्वारा अभ्यर्थियों की प्रावीण्य सूची तैयार की जाएगी।

(iii) संबंधित विभाग की अनुशंसा/निर्देश उपरांत परीक्षा परिणाम प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल की वेबसाईट **www.peb.mp.gov.in** पर उपलब्ध कराया जावेगा ।

(iv) विभाग/विभागों को भेजी जाने वाली मेरिट लिस्ट पी.ई.बी. की वेबसाईट पर भी अपलोड की जाऐंगी ।

(v) अन्तिम कुंजी समिति की अनुशंसाऐं भी पी.ई.बी. की वेबसाईट पर अपलोड की जाऐंगी ।

3.12 परीक्षा परिणाम :-

(i) परीक्षा के सभी चरणों के सम्पन्न होने के बाद अभ्यर्थियों का परिणाम पी.ई.बी. की वेबसाईट **www.peb.mp.gov.in** पर अपलोड किया जायेगा।

(ii) तद्नुसार अभ्यर्थी वेबसाईट से डाउनलोड कर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। डाक से परीक्षा परिणाम का प्रेषण नहीं किया जायेगा।

3.13 प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल का कार्य लिखित परीक्षाओं का संचालन एवं उसका परिणाम घोषित करना मात्र होगा :-

(i) परीक्षा संचालन से संबंधित सभी नीतिगत विषयों का निर्धारण एवं निर्णय लेने का अंतिम अधिकार पी.ई.बी. का होगा।

(ii) पी.ई.बी. अपने पास परीक्षा संचालन संबंधी नियमों/प्रक्रियाओं को संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है एवं पी.ई.बी. द्वारा किया गया कोई भी ऐसा संशोधन बंधनकारी होगा।

(iii) विभाग द्वारा मांग किये जाने की स्थिति में पी.ई.बी. परीक्षा के अन्य चरणों के परिणामों को समेकित कर अंतिम परीक्षा परिणाम घोषित करेगा ।

(iv) अंतिम रूप से परीक्षा परिणाम घोषित होने पश्चात् परीक्षा से संबंधित अभिलेख पी.ई.बी. द्वारा जारी आदेश क्र. पी.ई.बी./2/स्था./11-38/2006/08/6473/2016 दिनांक 19.10.16 में उल्लेखित अनुसार नष्ट कर दिए जायेंगे।

3.14 न्यायिक क्षेत्राधिकार :- परीक्षा संचालन संबंधी नियमों/प्रक्रियाओं के विधि संबंधी किसी भी विवाद की स्थिति में क्षेत्राधिकार **(Jurisdiction)** मध्यप्रदेश के उच्च न्यायालय के अंतर्गत रहेगा ।

<u>खण्ड-ब</u>

3.15 ऑनलाईन आवेदन-पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेजों का विवरण :-

ऑनलाईन आवेदन-पत्र के साथ आवेदक को निम्नलिखित आवश्यक दस्तावेज अनिवार्य रूप से स्कैन कराकर संलग्न करने होंगे। इनके अभाव में आवेदन पत्र स्वीकार नही होगा:-

(i) आनलाईन आवेदन पत्र के साथ अभ्यर्थी का कलर फोटो, हस्ताक्षर एवं स्वयं की हस्तलिपी को प्रपत्र **प्रारूप**-02 अनुसार स्कैन कराकर संलग्न करना होगा ।

(ii) ऑनलाईन आवेदन-पत्र में आवेदक को जन्मतिथि के प्रमाण हेतु आठवी/दसवी अथवा बारहवी की अंकसूची को स्केन करवाकर संलग्न करना होगा।

(iii) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछ्डा वर्ग के अभ्यर्थियों के जाति प्रमाणीकरण हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र को स्केन करवाकर संलग्न करना होगा।

3.16 ऑनलाईन आवदेन पत्र के साथ फोटो एवं हस्ताक्षर संलग्न करने संबंधी निर्देश:-

(i) आनलाईन आवेदन पत्र के साथ अभ्यर्थी का कलर फोटो, हस्ताक्षर एवं स्वयं की हस्तलिपी को प्रपत्र **प्रारूप**-02 अनुसार स्केन कराकर संलग्न करना होगा ।

(ii) जिसमें फोटो ऊपरी भाग में तथा हस्ताक्षर नीचे के भाग में होगें। फोटोग्राफ अच्छी गुणवत्ता एवं पृष्ठभाग **(background)** सफेद होना चाहिये।

(iii) पोलोराइड **(Polaroid)** फोटोग्राफ मान्य नहीं होगा ।

(iv) अभ्यर्थी का फोटोग्राफ सामने से खींचा हुआ होना चाहिए। जिसमें अभ्यर्थी के दोनों कान भी स्पष्ट दिखाई दें।

(v) उपरोक्त मांपदड के फोटोग्राफ संलग्न नही किये जाने पर आवेदन पत्र निरस्त किया जायेगा।

(vi) फोटोग्राफ <u>आवेदन भरने की तिथि</u> से तीन माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिये तथा <u>फोटोग्राफ पर खिंचवाने की दिनांक व आवेदक के नाम का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिये।</u> यथा संभव अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में जैसा फोटो दाढी में/क्लीन शेव में लगाया गया है तो परीक्षा हाल में वैसी ही स्थिति में उपस्थिति दर्ज करानी होगी ।

(vii) यदि पढ़ने के लिए चश्मा उपयोग में लाया जाता है, तो चश्मा लगाकर फोटोग्राफ खिंचवाया जाना होगा। काले चश्मे के साथ खिंचा हुआ फोटोग्राफ मान्य नहीं किया जायेगा।

(viii) ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया गया फोटो ही काउंसिलिंग/चयन प्रक्रिया में उपयोग में लाया जायेगा। अत: ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ संलग्न फोटोग्राफ की कम से कम 5 प्रतियॉ सुरक्षित रखा जाना होगा।

(ix) ऑनलाईन आवेदन पत्र में हस्ताक्षर निर्धारित जगह पर फोटो के नीचे पूर्णत: स्पष्ट रूप से किये जाने होंगे। लघु हस्ताक्षर, अंग्रेजी के केपीटल अक्षरों में हस्ताक्षर अथवा एक से अधिक हस्ताक्षर मान्य नहीं होंगे।

(x) ऑनलाईन आवदेन पत्र के साथ दिए गए हस्ताक्षर के समान ही हस्ताक्षर परीक्षा हाल, काउंसिलिंग/चयन एवं प्रवेश के समय मान्य होगें।

3.17 **एम.पी. ऑनलाईन कियोस्क के माध्यम से आवेदन फार्म भरने की विधि** :-

एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से भी ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरा जा सकता है, जिसके लिए चाही गई समस्त जानकारियों व फोटो सहित आवेदक को जाना होगा:-

(i) पोर्टल पर द्वारा उपलब्ध कराए गए आवेदन-पत्र के प्रारूप को नियमों के अनुरूप उचित रूप से भरना चाहिये ।

(ii) कियोस्कधारक आवेदक का फोटो, हस्ताक्षर व हस्तलिपि की दो लाईनों को स्केन कर ऑनलाईन आवेदन-पत्र के साथ यथास्थान संलग्न करेगा।

(iii) फार्म भरने के उपरांत आवेदक फार्म में भरी गई समस्त जानकारियां भलीभांति पढ़कर सही-सही जानकारी भरा होना सुनिश्चित करने पश्चात् ही कियोस्कधारक को पोर्टल शुल्क का भुगतान हेतु सहमति दें तथा नकद राशि का भुगतान कियोस्कधारक को करें।

(iv) भुगतान प्रक्रिया पूर्ण होने पर कियोस्कधारक द्वारा कम्प्यूटराईज्ड आवेदन-पत्र सह रसीद आवेदक को उपलब्ध करायेगा, जिसमें आवेदक का ऑनलाईन आवेदन-पत्र में भरी गई समस्त जानकारी के साथ पोर्टल शुल्क भुगतान की जानकारी उपलब्ध रहेगी, जिसे स्वयं के पास संभालकर रखा जाना होगा, ताकि ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने में यदि कोई गलती परिलक्षित होती है तो उसे अंतिम तिथि के बाद मुख्य पृष्ठ पर उल्लेखित संशोधन तिथियों के दौरान निर्धारित शुल्क का भुगतान कर ठीक किया/करवाया जा सकेगा।

3.18 **ऑनलाईन आवेदन भरने के संबंध में निर्देश :**

(i) आवेदन पत्र, आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि की रात्रि 12.00 बजे तक ऑनलाईन भरे जा सकते है। आवेदक द्वारा भरे जाने वाले आवेदन पत्र में राज्य एवं जिले का विवरण "मीनू" के माध्यम से प्राप्त होगा। जिससे भविष्य में आवश्यकतानुसार राज्य एवं जिले की आवश्यक जानकारी प्राप्त की जा सके।

(ii) **आवेदक को आवेदन पत्र में शरीर के स्थायी चिन्ह तथा परीक्षा के समय प्रस्तुत किये जाने वाले फोटो पहचान पत्र का विवरण तथा क्रमांक अनिवार्य रूप से अंकित किया जाना होगा। इनके अभाव में आवेदन पत्र स्वीकार नही होगा।**

(iii) ऑनलाईन आवेदन-पत्र में भरी जाने वाली समस्त जानकारियों की शुद्धता एवं सत्यता का पूरा उत्तरदायित्व आवेदक का होगा।

(iv) आवेदक द्वारा आनलाईन आवेदन पत्र में शैक्षणिक अर्हता के अनुरूप अर्हता रखने वाली अंक सूची का क्रमांक तथा कुल प्राप्तांक, पूर्णाक सहित आवेदन पत्र में भरा जाना अनिवार्य है।

(v) **आनलाईन आवेदन पत्र में आवेदक का अपना आधार क्रमांक अनिवार्यत: लिंक किये जाने का प्रावधान रखा है । इसके लिए**

1. आवेदन पत्र में आधार टोकन नम्बर की प्रविष्टि करना ।
2. उपरोक्त आधार टोकन नम्बर द्वारा M.P.S.R.D.H (मध्यप्रदेश स्टेट रेजिडेंट डेटा हब) की e-KYC सुविधा का लाभ लेते हुए आवेदन पत्र में उचित प्रविष्टी करना इस हेतु एम.पी.ऑनलाईन अथवा एप्लीकेशन फार्म फेस्टीलेशन एजेंसी द्वारा M.P.S.R.D.H. तथा स्वयं के मध्य एक वेब सर्विस एप्लीकेशन तैयार की जाकर एप्लीकेशन पोर्टल में अनुप्रयुक्त किया जाना है। इस हेतु आवेदक के रजिस्टर्ड मोबाईल नम्बर पर ओ.टी.पी. भेजा जायेगा जिससे e-KYC सत्यापन हो सके ।
3. परीक्षा के ठीक पूर्व रजिस्ट्रेशन डेस्क पर अभ्यर्थियों का आधार इनेबिल्ड बायोमैट्रिक सत्यापन किया जावेगा । इस हेतु पी.ई.बी. तथा M.P.S.R.D.H. के मध्यक एक एम ओ.यू. संपादित किया गया है जिसके द्वारा अभ्यर्थी का आधार इनेबिल्ड सत्यापन रजिस्टेशन डेस्क पर स्वत: हो सकेगा ।
4. चयनित अभ्यर्थियों का Biometric Data आधार इनेबिल्ड सत्यापित होने से विभिन्न विभागों द्वारा पुन: Biometric सत्यापन स्वयं के स्तर पर ही किया जावेगा ।

(vi) पहचान पत्र के मीनू मे पी.ई.बी. द्वारा अधिमान्य पहचान पत्र का प्रावधान रखा गया ।

3.19 ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने की व्यवस्था :-

(i) ऑनलाईन आवेदन-पत्र एम.पी.आनलाईन की **वेबसाईट** www.mponline.gov.in के माध्यम से भरा जा सकता है।

(ii) इसके अतिरिक्ति स्वंय के स्तर से भी उपरोक्त उल्लेखित बेवसाईट्स से डेबिट (कोई भी वीजा/मास्टर/मास्टरो) कार्ड/क्रेडिट कार्ड (कोई भी वीजा/मास्टर कार्ड) या नेट बैंकिंग के माध्यम से निर्धारित परीक्षा शुल्क का भुगतान कर ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरा जा सकता है।

(iii) सीधी भर्ती-बैकलॉग के रिक्त पदों हेतु अभ्यर्थियो द्वारा कोई परीक्षा शुल्क देय नही होगा।

(iv) शुल्क भुगतान की प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत ऑनलाईन आवेदन-पत्र की एक प्रति अपने पास सुरक्षित रखें, ताकि उसमें उल्लेखित आवेदन-पत्र क्रमांक का उपयोग कर मंडल की वेबसाईट के माध्यम से प्रवेश-पत्र प्राप्त किया जा सके।

3.20 ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने हेतु दो विकल्प हैं :-

(अ) इंटरनेट केफे द्वारा (कियोस्क)

(ब) स्वयं के कम्प्यूटर द्वारा

(i) आवेदक वेबसाईट www.mponline.gov.in के माध्यम से होम पेज पर उपलब्ध **Citizen Services** (नागरिक सेवाएं) के अंतर्गत

Application क्लिक कर

Vyapam लिंक में

परीक्षा के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने संबंधी **निर्देश/Instructions** तथा परीक्षा **नियम/Examination Rules** उपलब्ध होंगे।

(ii) निर्देशों एवं नियमों का भलीभांति अध्ययन करने के पश्चात् ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने हेतु **Continue** बटन को क्लिक करें ।

(iii) ऑनलाईन आवेदन-पत्र में चाही गई समस्त जानकारियों को सही-सही भरना अनिवार्य है तथा किसी भी जानकारी के रिक्त रहने की स्थिति में ऑनलाईन आवेदन-पत्र जमा नहीं किया जा सकेगा।

(iv) ऑनलाईन आवेदन-पत्र के साथ फोटो, हस्ताक्षर एवं हस्तलिपि की दो लाईनों की एक इमेज तैयार करने हेतु Link के माध्यम से प्रारूप मुद्रित कर उसमें यथास्थान हस्तलिपि की दो लाईने, फोटो तथा हस्ताक्षर कर उसे स्केन कर jpg फार्मेट में ही कम्प्यूटर में सेव करें व इसे Browse बटन के माध्यम से सेव किए गए इमेज को ऑनलाईन आवेदन-पत्र के साथ संलग्न (Attach) करें।

(v) ऑनलाईन आवेदन-पत्र को Submit करने के पूर्व पुन: पढ़कर सुनिश्चित करें कि आवेदन-पत्र में भरी गई जानकारी सही है अथवा नहीं। यदि किसी प्रकार की कोई गलती हो तो उसे ठीक करने के पश्चात् ही Submit बटन का उपयोग कर आवेदन-पत्र को जमा करें।

(vi) आवेदन पत्र जमा होने पर आवेदन-पत्र क्रमांक दर्शाया जायेगा तथा पोर्टल शुल्क के भुगतान हेतु proceed to payment बटन का उपयोग किया जाना होगा, जिसके अंतर्गत दो विकल्प उपलब्ध होंगे :-

(अ) क्रेडिट/डेबिट कार्ड

(ब) इंटरनेट बैंकिंग

3.21 क्रेडिट/डेबिट कार्ड के माध्यम से परीक्षा शुल्क का भुगतान:-

(i) आवेदन-पत्र भरने के उपरांत पोर्टल शुल्क का भुगतान किसी भी बैंक के क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किया जा सकता है।

(ii) क्रेडिट/डेबिट कार्ड विकल्प का चयन करने पर निर्धारित बैंकों का भुगतान हेतु पेमेन्ट गेटवे उपलब्ध होगा, जिसमें क्रेडिट/डेबिट कार्ड का विवरण भर कर पोर्टल शुल्क का भुगतान किया जा सकता है।

(iii) पोर्टल शुल्क के सफलतापूर्वक भुगतान होने पर ट्रांजेक्शन संबंधी जानकारियों की कम्प्यूटराईज्ड रसीद उपलब्ध होगी, जिसे मुद्रित कर संभालकर रखा जाना होगा ।

3.22 इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से परीक्षा शुल्क का भुगतान :-

(i) आवेदक के पास इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध होने पर ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने के उपरांत पोर्टल शुल्क का भुगतान निर्धारित बैंकों की इंटरनेट बैंकिंग से बैंक द्वारा प्रदाय यूजर आई.डी. का उपयोग कर किया जा सकता है।

(ii) पोर्टल शुल्क के सफलतापूर्वक भुगतान होने पर ट्रांजेक्शन संबंधी जानकारियों की कम्प्यूटराईज्ड रसीद उपलब्ध होगी, जिसे मुद्रित कर संभालकर रखा जाना होगा ।

3.23 आवेदक के पास उपरोक्त उल्लेखित क्रेडिट/डेबिट कार्ड अथवा इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में वह ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने के उपरांत एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन-पत्र क्रमांक उपलब्ध कराकर Unpaid Application लिंक के उपयोग से शुल्क का भुगतान कर आवेदन-पत्र जमा कर रसीद एवं ऑनलाईन आवेदन-पत्र की प्रति प्राप्त कर सकता है, जिसे संभालकर रखा जाना होगा, ताकि ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने में यदि कोई गलती परिलक्षित होती है तो उसे अंतिम तिथि के बाद मुख्य पृष्ठ पर उल्लेखित संशोधन तिथियों के दौरान निर्धारित शुल्क का भुगतान कर ठीक किया/करवाया जा सकता है।

3.24 निर्धारित तिथि में जमा किए गए ऑनलाईन आवेदन पत्र में संशोधन की व्यवस्था

(i) ऑनलाइन आवेदन पत्र में आवेदकों द्वारा संशोधन करने की प्रक्रिया निम्नानुसार बिन्दुओ के आधार पर होगी:-

(ii) ऑनलाईन आवेदन-पत्र में निर्धारित दिवस तक स्वयं आवेदक द्वारा इन्टरनेट से अथवा एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से अपने ऑनलाईन आवेदन-पत्र में संशोधन किया जा सकेगा।

(iii) उक्त सुविधा केवल ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने की निर्धारित अवधि में परीक्षा शुल्क राशि का भुगतान कर सफलतापूर्वक भरे गए आवेदन-पत्रों के लिए ही उपलब्ध होगी।

(iv) संशोधन हेतु निर्धारित तिथियों की अवधि में आवेदक द्वारा एक या एक से अधिक बार अपने आवेदन-पत्र में संशोधन किया जा सकेगा, जिसके लिए प्रत्येक बार आवेदक को संशोधन शुल्क का भुगतान एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से करना होगा।

(v) उपरोक्त प्रक्रिया में किसी आवेदक द्वारा यदि श्रेणी अनारक्षित के स्थान पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का संशोधन किया जाता है, तो उसके द्वारा भुगतान की गई परीक्षा शुल्क राशि में से अजा/अजजा/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क में छूट की राशि वापस नहीं की जायेगी।

(vi) परन्तु यदि किसी आवेदक द्वारा अनु.जाति/अनु.जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी से अनारक्षित का संशोधन किया जाता है, तो उसे अनारक्षित के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क राशि में पूर्व में जमा की गई राशि का समायोजन कर शेंष राशि का भुगतान करना होगा।

(vii) संशोधन प्रक्रिया के अंतर्गत आवेदक को Vital Field अर्थात् नाम, पिता/माता/पति के नाम एवं जन्म तिथि में किसी भी प्रकार का संशोधन नही किया जा सकेगा, अन्य प्रविष्टियों जैसे फोटो व हस्ताक्षर में संशोधन की सुविधा उपलब्ध होगी।

(viii) संशोधन के लिए निर्धारित अवधि में स्वयं आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन-पत्र क्रमांक, ट्रांजेक्शन आई.डी. नंबर व जन्मतिथि का उपयोग कर अपने ऑनलाईन आवेदन-पत्र में आवश्यक संशोधन किया जा सकेगा तथा ऐसे किसी भी संशोधन के लिए आवेदक की स्वयं की जिम्मेदारी होगी।

(ix) ऑनलाईन आवेदन-पत्र क्रमांक, ट्रांजेक्शन आई.डी. नंबर, बोर्ड आवेदन-पत्र क्रमांक, मोबाईल नंबर एवं ई-मेल आई.डी. में संशोधन नहीं किया जा सकेगा।

(x) संशोधन के लिए निर्धारित समयावधि के पश्चात् किसी भी प्रकार का संशोधन मान्य नहीं होगा । अभ्यर्थी के किसी भी प्रकार के आवेदन पर पी.ई.बी. द्वारा विचार नही किया जायेगा तथा अभ्यर्थी के पत्र को नस्तीबद्ध करते हुये पी.ई.बी. द्वारा प्रतिउत्तर नहीं दिया जायेगा ।

3.25 एक से अधिक ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने संबंधी निर्देश :-

(i) ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने की निर्धारित अवधि में किसी कारणवश यदि आवेदक एक से अधिक अर्थात् डुप्लीकेट ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरता है, तो उसे पूर्व में भरे गए आवेदन-पत्र की जानकारी यथा आधार नम्बर नाम, पिता/पति का नाम, माता का नाम जन्मतिथि, लिंग इत्यादि में समानता के आधार पर कम्प्यूटर पर सचेत किया जायेगा कि उक्त जानकारी का पूर्व से ही ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरा गया है, क्या उसे निरस्त करना चाहते है ? यदि आवेदक द्वारा ‘‘हॉ‘‘ विकल्प का चयन किया जाता है तब ही उसके द्वारा नवीन आवेदन-पत्र भरा जा सकेगा, अन्यथा पूर्व में भरा गया ऑनलाईन आवेदन-पत्र ही मान्य होगा।

(ii) अभ्यर्थी द्वारा विकल्प ‘‘हॉ‘‘ का चयन कर नवीन आवेदन भरने की स्थिति में आवेदक के मोबाईल नंबर/ई-मेल आईडी पर एम.पी. ऑनलाईन द्वारा यथा सम्भव पूर्व में भरा गया

आवेदन निरस्त होने की जानकारी भेजी जाएगी तथा नवीन आवेदन-पत्र की हार्डकॉपी में भी पूर्व में भरा गया आवेदन पत्र निरस्त होने की जानकारी दी जायेगी।

(iii) ऐसी स्थिति में पूर्व में भरे गए आवेदन का भुगतान किया गया शुल्क राजसात किया जावेगा तथा इसके स्थान पर भरे गए नवीन आवेदन-पत्र के लिए पुन: शुल्क का भुगतान करना होगा।

(iv) आवेदक द्वारा छद्म रूप से एक से अधिक आवेदन किये जाने पर अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त की जावेगी ।

3.26 **ऑनलाईन आवेदन-पत्र का निरस्तीकरण** :-

(i) एम.पी. ऑनलाईन से डेटा प्राप्त होने के उपरान्त नियम पुस्तिका में उपलब्ध करवाये गये फोटो एवं हस्ताक्षर संबंधी स्पेशिफिकेशन के आधार पर फोटो, हस्ताक्षर एवं हस्तलिपि का परीक्षण पी.ई.बी स्तर पर भी सुनिश्चित किया जायेगा। इसके पूर्व एम.पी.ऑनलाईन द्वारा यह परीक्षण किया जाएगा ।

(ii) इनमें त्रुटि, अस्पष्टता, या डाटा की अनुपलब्धता होने की स्थिति में आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त किया जायेगा।

(iii) इस संबंध में पी.ई.बी द्वारा कोई भी पत्राचार नही किया जायेगा तथा समस्त जवाबदारी आवेदक की स्वयं की होगी।

3.27 ऑनलाईन आवेदन-पत्र के संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी/समस्या के लिए M.P. OnLine के Helpdesk के दर्शाए गए दूरभाष क्रं. 0755 - 4019400 पर सम्पर्क किया जाना होगा।

3.28 परीक्षा के प्रश्न पत्रों से संबंधित पाठ्यक्रम नियमपुस्तिका के पृथक अध्याय में दिया गया है।

3.29 म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय के पत्र क्रमांक एफ 3-17/2014/1/3 भोपाल, दिनांक 18 दिसम्बर 2014 के अनुसार आदेशित किया गया है कि बोर्ड के माध्यम से चयन सूची जारी होने के दिनांक से अधिकतम 03 माह के भीतर चयनित उम्मीदवारों के नियुक्ति आदेश जारी करना सुनिश्चित करें। किसी भी स्थिति में किसी भी प्रकरण में वैधता अवधि बढ़ाने का प्रस्ताव मान्य नहीं होगा। यदि ऐसे प्रकरण परिलक्षित होते हैं तो इसके जिम्मेदार विभाग प्रमुख होंगे ।

3.30 **पुन:गणना/पुनर्मूल्यांकन**

प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल द्वारा परीक्षा परिणाम जारी किये जाने के पश्चात **पुन:गणना/पुनर्मूल्यांकन** का प्रावधान नहीं है । अभ्यर्थी के किसी भी प्रकार के आवेदन पर पी.ई.बी द्वारा विचार नही किया जायेगा तथा अभ्यर्थी के पत्र को नस्तीबद्ध करते हुये पी.ई.बी द्वारा प्रतिउत्तर नहीं दिया जायेगा ।

3.31 अभ्यर्थी द्वारा जानकारी/समस्या के लिए टोल फ्री नम्बर 18002337899 पर सम्पर्क किया जा सकता है साथ ही परीक्षा सम्बन्धी कोई भी शिकायत पी.ई.बी. की E-mail ID “complain.peb@mp.gov.in” पर भेज सकते है ।

खण्ड-स

3.32 **आवेदन पत्र भरने की समयावधि**

ऑनलाईन आवेदन पत्र			ऑनलाईन आवेदन में संशोधन		
भरने की प्रारंभिक तिथि	भरने की अंतिम तिथि	भरने के कुल दिवस	करने की प्रारंभिक तिथि	करने की अंतिम तिथि	करने के कुल दिवस
01.09.2018	**15.09.2018**	**15**	**01.09.2018**	**20.09.2018**	20

3.33 **आनलाईन परीक्षा का विवरण**

नियम पुस्तिका के बिंदु क्रमांक 7.1 अनुसार |

परीक्षा में हिन्दी/अंग्रेजी माध्यम में वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे, जिनमें प्रत्येक प्रश्न के चार संभावित उत्तर/विकल्प दिये रहेंगे। परीक्षार्थी को सही उत्तर चुनकर उससे संबंधित गोले को कम्प्यूटर के माउस की सहायता से काला करना होगा।

3.34 (i) **परीक्षा शुल्क :-**

स.क्र.	प्रश्नपत्रों की संख्या	अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिये	अन्य पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिये (म.प्र. के मूल निवासियों के लिये)	नि:शक्तजन अभ्यर्थियों के लिये (म.प्र. के मूल निवासियों के लिये)	आवेदन पत्र जमा करने के लिये एम.पी ऑन लाईन का पोर्टल शुल्क	सीधी भर्ती बैकलॉग के अभ्यर्थियों के लिये
01.	**एक**	**500/-**	**250/-**	**250/-**	कियोस्क के माध्यम से भरने पर 70/- कियोस्क के माध्यम से न भरने पर 40/-	**निरंक**

(ii) **संशोधन किये जाने पर देय शुल्क**

स.क्र.	प्रश्नपत्रों की संख्या	आवेदन पत्र में प्रत्येकवार संशोधन किये जाने पर शुल्क	आवेदन पत्र में प्रत्येकवार संशोधन किये जाने पर पोर्टल शुल्क
01.	**एक**	20/-	50/-

3.35 **परीक्षा शहर :-**

लिखित परीक्षा निम्नलिखित परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित की जायेगी । मण्डल अपनी सुविधानुसार परीक्षा शहरो/केन्द्रों में परिवर्तन, कमी या वृद्धि कर सकता है। परीक्षा आनलाईन पद्धति से आयोजित है अत: परीक्षा शहर एवं परीक्षा केन्द्रो की उपलब्धता के अनुरूप अभ्यर्थियों को भी वांछित परीक्षा शहर के स्थान पर अन्य परीक्षा शहर आवंटित किया जा सकता है ।

आनलाईन परीक्षा केन्द्र			
1. भोपाल	2. इन्दौर	3. जबलपुर	4. ग्वालियर

खण्ड-द

ऑनलाईन परीक्षा प्रणाली के संबंध में निर्देश

3.36

(i) परीक्षा केन्द्र पर परीक्षा प्रारंभ होने के 2:00 घण्टे पूर्व अभ्यर्थी की उपस्थिति अनिवार्य है।

(ii) परीक्षा तिथि पर परीक्षा केन्द्र में अभ्यथी आधार इनेबल्ड बायोमेट्रिक सत्यापन किया जाएगा । अभ्यर्थी के बायोमेट्रिक सत्यापन नहीं होने की स्थिति में उसे परीक्षा में बैठने की पात्रता नहीं होगी ।

(iii) बायोमेट्रिक के अतिरिक्त अभ्यर्थी को टी.ए.सी. के द्वितीय भाग की प्रविष्टियों को भरकर लाना अनिवार्य है।

(iv) पी.ई.बी की वेबसाईट पर अभ्यर्थियों के लिये ऑनलाईन परीक्षा के मॉक टेस्ट की व्यवस्था उपलब्ध रहेगी, जिसका उपयोग कर आवेदक परीक्षा पूर्व, परीक्षा प्रक्रिया का अभ्यास कर सकता है।

(v) पी.ई.बी. कार्यालय में भी आवेदक के लिये ऑनलाईन परीक्षा प्रक्रिया के अभ्यास की सुविधा उपलब्ध रहेगी।

(vi) अभ्यर्थी को परीक्षा के दौरान प्रत्येक प्रश्न के लिये उपलब्ध चार विकल्प में से एक विकल्प का चयन उत्तर अंकित करने के लिये अनिवार्य होगा।

(vii) पी.ई.बी. की वेबसाईट पर परीक्षा समाप्त होने के अगले दिवस प्रश्न पत्र एवं मॉडल उत्तर प्रदर्शित किये जायेगे जिसके आधार पर आवेदक प्रश्न एवं उनके उत्तर विकल्पों के संबंध में अपना अभ्यावेदन नियमानुसार निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत कर सकेगा।

(viii) अभ्यर्थियों से प्राप्त अभ्यावेदनों पर विचार उपरान्त अंतिम उत्तर कुंजी (आदर्श उत्तर) तैयार किये जायेगे। जिसके आधार पर परीक्षा परिणाम तैयार कर घोषित किया जाएगा।

(ix) ऑनलाईन आवेदक उपयोगर्ता पहचान और पासवर्ड के द्वारा ही ऑनलाईन परीक्षा हेतु अभ्यर्थी अपना प्रवेश-पत्र प्राप्त कर सकते है । अत: आवेदक उपयोगकर्ता पहचान और पासवर्ड आवश्यकरूप से संभाल कर रखे जिसकी समस्त/जिम्मेदारी आवेदक की होगी ।

(x) परीक्षा का आयोजन एक से अधिक शिफ्ट मे किये जाने की स्थिति में अभ्यर्थियों के स्कोर का Normalisation करने का प्रावधन पी.ई.बी. के पास सुरक्षित रहेगा ।

(xi) नियम पुस्तिका में परीक्षा आयोजन का समय परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन/संशोधन किया जा सकता है ।

(xii) परीक्षा आयोजन की निर्धारित तिथि में परिस्थिति अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है तथा परीक्षा का आयोजन निर्धारित तिथि के पूर्व या पश्चात भी किया जा सकेगा ।

(xiii) अभ्यर्थी को केवल मूल फोटो युक्त पहचान पत्र प्रस्तुत करने पर ही परीक्षा में बैठने की पात्रता होगी । ई-आधार कार्ड का प्रिन्ट आउट यु.आई.डी.ए.आई.(UIDAI) के द्वारा सत्यापित (Verify) होने पर ही ई आधार मान्य होगा ।

(xii) परीक्षा में निर्धारित रिपोटिंग समय के पश्चात आने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा केन्द्र में प्रवेश की पात्रता नहीं होगी ।

प्रारूप-1

प्रश्नों/आदर्श उत्तरो पर आपप्ति हेतु अभ्यावेदन

(देखें नियम 3.12 एवं 3.13)

(नोट- यह प्रपत्र केवल परीक्षार्थी द्वारा ही भरकर निर्धारित समयावधि तक मण्डल कार्यालय में उपलब्ध कराने पर विचार क्षेत्र में लिया जाएगा)

परीक्षा का नाम	
परीक्षा का दिनांक	
अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	
अभ्यर्थी का नाम	
परीक्षा की दिनांक	
परीक्षा का समय/शिफ्ट	
परीक्षा का शहर	
अभ्यर्थी का परीक्षा केन्द्र	

पी.ई.बी. की वेबसाईट पर प्रदर्शित उपरोक्त परीक्षा के प्रश्न पत्र में निम्न प्रश्न/उत्तर निम्नलिखित कारणों से त्रुटिपूर्ण है :-

स. क्र.	विषय	प्रश्न क्रमांक	प्रश्न में त्रुटि का विवरण	आदर्श कुंजी में प्रदर्शित उत्तर	अभ्यर्थी के अनुसार उत्तर	प्रश्न/उत्तर के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेज का विवरण	संलग्नक क्रमांक

2. उक्त त्रुटियों से संबंधित अभिलेख इस अभ्यावेदन के साथ संलग्न प्रेषित है ।

आवेदक के हस्ताक्षर...

आवेदक का नाम एवं पता ....

....

....

दूरभाष क्रमांक..

दिनांक..

प्रारूप—2

Professional Examination Board

प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड

Predefined Template

फोटो / Photo

4 x 5" सेमी फोटो यहाँ चिपकाये

4 x 5"cm photo paste here

Box-1

हस्ताक्षर / Signature

Box-2

निर्देश / Instruction)**हस्ताक्षर** / Signature)

- (i)अपना पूरा हस्ताक्षर बॉक्स-2 के अंदर करें, (ii) अँग्रेजी के कैपिटल अक्षरों e vFkok vxzsth d y/kq gLrk{kj ekU; ugh gksxs A (iii) एक से अधिक हस्ताक्षर मान्य नहीं होंगे
- (i) Do your full signature within box-2, (ii)signature in capital letter or Short is not allowed(iii) more than 1 signature will be invalid

निर्देश / Instruction(**फोटो** / Photo)

फोटोग्राफ के निचले हिस्से पर फोटो खिचवाने की दिनांक व आवेदक का नाम स्पष्ट होना चाहिएतथा यह आवेदन करने की तिथि से तीन माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए

- Photograph of the candidate should bear his/ her name and the date on the front of the lower part of photographandit should not old more than 3 months from application date

स्व-घोषणा / Self-declaration:

मैं घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा आवेदन में दी गई समस्त जानकारी पूर्णतः सत्य है।यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी किसी भी स्तर पर झूठी या पात्रता मापदंडकी आवश्यकताओं अनुसार संतोषजनक नहीं पाई जाती है तो मेरी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती हैं।

अथवा / Or

I hereby declare that all statements made in this application are true to the best of my

lgefr çek.k&i=

अ० सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के परिपत्र क्रमांक 468 भोपाल, दिनांक 04/10/2013, संशोधित परिपत्र 74 दिनांक 16/02/2015 एवं संशोधित परिपत्र 416 दिनांक 10/10/2016 के अनुसार **मध्यप्रदेश के विभिन्न जिलों की जिला ई-गवर्नेंस सोसायटी में जिला ई-गवर्नेंस प्रबंधक, सहायक ई-गवर्नेंस प्रबंधकों, वरिष्ठ प्रशिक्षक, प्रशिक्षक एवं लेखापाल के पदों हेतु अर्हता सूची तैयार करने के लिये आयोजित परीक्षा -2018** के आयोजन के लिए नियम पुस्तिका तैयार की गई है।

ब० विभाग द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक 147/904/2014/आ.प्र./एक/ भोपाल, दिनांक 13/02/2015 के अनुसार भूतपूर्व सैनिक हेतु नियमानुसार आरक्षण प्रदाय किया गया है।

स० मण्डल के आदेश क्रमांक/127/व्यापम/प–1/482/2009 भोपाल, दिनांक 29 जनवरी, 2010 के अनुसार सीधी भर्ती बैकलॉग के पदों हेतु मण्डल द्वारा निर्धारित की गई शुल्क को विभाग द्वारा दिये जाने के संबंध में सहमति प्रदान की जाती है।

नियम पुस्तिका में दी गई किसी भी जानकारी के संबंध में किसी भी विवाद आदि के लिए विभाग स्वंय जवाबदेह होगा। तैयार नियम पुस्तिका के अनुसार परीक्षा आयोजन में विभाग को कोई आपत्ति नही है तथा परीक्षा आयोजन के संबंध में विभाग अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करेगा।

तद्नुसार यह सहमति प्रमाण पत्र सत्यापित/हस्ताक्षरित कर प्रदान किया जाता है।

l- Ø-	foHkkx dk uke	ukMy vf/kdkjh@lR;kiudrk vf/kdkjh dk uke ,oa nwjHkk"k Øekad	ukMy vf/kdkjh@lR;kiudrk vf/kdkjh dk gLrk{kj ,oa lhy	dk;kZfyd@vdk;kZfyd in dh fLFkfr
1	**मध्यप्रदेश एजेंसी फॉर प्रमोशन ऑफ़ इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी**			